

Regional Centre for Urban & Environmental Studies

(Established by the Ministry of Urban Development, Govt. of India in 1968) Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow- 226 007 (INDIA)

7






RCUES PREMISES

THE FACULTY OF RCUES

SITTING-Dr.Richa Varmani(Jt.Dir.), Prof.Nishith Rai(Director), Dr.Urmila Bagga(Jt.Dir.)



Please mail your correspondence to : **Prof. Nishith Rai** Director Regional Centre For Urban & Environmental Studies (Established by Ministry of Urban Development, Government of India) Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow - 226 007 (INDIA) Tel. : (0522) 2740165, 2740108, Fax : (0522) 2740165 e-mail : nkrai@hotmail.com ■ director@gmail.com ■ Website rcueslko.org



From the Chief Editor's Desk



प्रो. निशीथ राय

प्रिय पाठकों,

नगरों का विकास व्यापक राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है। नगरों के विकास को एक सुनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर करने में तथा स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने में राज्य की सुविचारित रणनीतियों का समयबद्ध कियान्वयन तथा कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की अहम भूमिका होती है।

नगरों की वर्तमान जटिल एवं निरन्तर व्यापक होती चुनौतियों के परिदृश्य में नगरीय स्वशासन में बेहतरी लाने की संभावनाएं भी बराबर चिन्हित की जा रही है। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के प्रयासों में केन्द्र अपने बहुआयामी दायित्वों को, अपनी भागीदारी को, तत्परता से तथा सक्रिय रूप से निभाने के लिए कटिबद्ध है।

आप सभी को सूचित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मनोनीत 'राज्य संसाधन केन्द्र' के रूप में केन्द्र के निर्देशन में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत चयनित सातों शहरों की सी.डी.पी. तैयार करवाई गई जिन्हें भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। सी.डी.पी. के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए कुछ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी अनुमोदित किए जा चुके हैं तथा कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु राज्य संसाधन केन्द्र के रूप में नामित एजेंसी के रूप में केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश की अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण की वृहद योजना शीघ्र ही कियान्वित की जाएगी।


झारखण्ड के नगरीय निकायों के प्रशासनिक पुनर्गठन हेतु केन्द्र द्वारा एक मैनुअल तैयार करके झारखंड शासन को प्रेषित किया जा चुका है। बिहार की नगरीय निकायों में डबल इंट्री एकाउन्टिंग प्रणाली लागू करने संबंधी प्रक्रिया भी शीघ्र ही क्रियान्वित की जाने वाली है।

उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनावों के पश्चात् जन प्रतिनिधियों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक प्रशिक्षण श्रृंखला तैयार की जा चुकी है। बिहार की महिला पार्षदों हेतु ऐसी एक प्रशिक्षण श्रृंखला वर्तमान में केन्द्र द्वारा आयोजित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 50 शहरों में रिपोर्ट कार्ड प्रणाली लागू करने के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रेक्षणों तथा निष्कर्षो से शासन को अवगत कराया जा चुका है तथा उनके आधार पर सेवाओं के स्तर में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से आगे की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल म्युनिसिपल अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की नगरीय निकायों हेतु एक संशोधित अधिनियम का प्रारूप भी केन्द्र द्वारा तैयार किया जा रहा है।

समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अवश्य है। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने अभिनव प्रयासों तथा समस्याओं से हमें अवश्य अवगत कराते रहें ताकि उनका समाधान तलाश करने में हम पूर्ण रूपेण आपका सहयोग कर सकें।

हार्दिक शूभकामनाओं सहित !



निशीथ राय निदेशक/मुख्य संपादक



डा. उर्मिला बग्गा

प्रिय पाठकों,

From the Editor's Desk



किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उसके शहरों में प्रतिबिम्बित होती है। पुरातन काल से ही शहर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तम्भ रहे हैं। देश की सम्पूर्ण आय में शहरों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शहरों में उपलब्ध बेहतर सुविधाओं तथा रोजगार अवसरों के आकर्षण में जनसंख्या के निरन्तर पलायन के कारण मूलभूत अधोसंरचनाओं का ढांचा गंभीर दबाव में आ गया है। पानी साफ–सफाई, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मौलिक आवश्यकताएं आज व्यापक एवं जटिल समस्याओं के रूप में चुनौतियाँ बन कर खड़े हैं तथा इनकी पूर्ति के लिए स्थानीय स्वशासन की जदो–जहद जारी है।

अच्छे अभिशासन के लिए अच्छे नेतृत्व की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। 74 वाँ संविधान संशोधन लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों में तीसरा चुनाव निकट भविष्य में होने वाला है। हम आशा करते हैं कि इन चुनावों में नागरिक अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए नगरीय निकायों में योग्य, कर्मठ तथा सक्षम प्रतिनिधियों को भेजेंगे। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि से आने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को तभी बखूबी निभा सकेंगे जब वे नगरीय प्रशासन तथा प्रबन्धन के व्यापक मुद्दों, नगरीय निकायों के अधिनियमों, उपविधियों, कार्य प्रणाली आदि तथा नगरीय प्रशासन में अपनी भूमिका एवं दायित्वों से भली भॉति परिचित होंगे।

नगरीय प्रशासन से सम्बद्ध इन जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से निरन्तर संवाद स्थापित करते हुए उनकी क्षमता संवर्धन करना भी आवश्यक है ताकि स्थानीय स्वशासन सशक्त हो सके और केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. इत्यादि के अंतर्गत शहरों के समग्र विकास तथा अच्छे अभिशासन की धारणा को मूर्त रूप देने में वे अपना सक्रिय योगदान तथा सहभागिता प्रदान कर सकें।

अपने अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ—साथ उक्त 'उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्र विगत दशकों में विभिन्न माध्यमों के जरिए अपनी इस भूमिका को सकारात्मक ढंग से निभाता चला आ रहा है और भविष्य में भी इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहेगा।

सदैव की भांति आपसे अनुरोध है कि अपने राज्य / शहर हेतु अच्छे नगरीय अभिशासन की दिशा में किए गए अभिनव प्रयासों / अनुभवों तथा सुसंगत निर्णयों, नियमों इत्यादि से हमें अवगत कराते रहें ताकि वे हमारे न्यूजलैटर के माध्यम से औरों के लिए भी सूचना एवं प्रेरणा के स्रोत बन सकें।

हार्दिक शूभकामनाओं सहित !

31401

उर्मिला बग्गा संयुक्त निदेशक/संपादक

REMARKABLE ACHIEVEMENTS OF THE CENTRE

- All the City Development Plans (CDPs) of seven JNNURM cities in U.P. viz. Lucknow, Kanpur, Allahabad, Agra, Varanasi, Meerut and Mathura prepared under the guidance and technical inputs of Regional Centre which functions as STATE RESOURCE CENTRE for JNNURM have been approved by the Ministry of Urban Development, Govt. of India.
- **RCUES** has been appointed as Nodal Agency F for the Solid Waste Management in U.P. by Govt. of U.P. In this regard, RCUES has prepared Detailed Project Reports (DPRs) for 17 towns in U.P. viz Aligarh, Jhansi, Balia, Basti, Sambhal, Badaun, Kannauj, Gorakhpur, Moradabad, Etawah, Firozabad, Mainpuri, Mujaffar Nagar, Raibareilly, Meerut and Mathura and is in the process of completing the DPRs for Lucknow, Kanpur, Agra and Shahjahanpur shortly. After being appraised at the State Level Nodal Agency [Directorate of ULBs], 13 DPRs were submitted to the State Level Sanctioning Committee which were finally approved at its meeting held on Sept. 8, 2006. Ministry of Urban Development, Govt. of India has also accorded their approval on these DPRs.
- RCUES has been appointed as Nodal Agency for implementation, monitoring and supervision of Double Entry Accounting System (DEAS) in all the 628 Urban Local Bodies of Uttar Pradesh by the Department of Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh.
- RCUES has been appointed as Nodal Agency for implementation, monitoring and supervision of Geographical Information System (GIS) and Computerisation in the Nagar Nigams of Allahabad, Varanasi, Aligarh, Bareilly, Meerut, Moradabad, Jhansi and Nagar Palika Parishads of Firozabad, Faizabad, Fatehpur, Mau, Jaunpur, Ballia, Bijnor, Vrindaban, Haldaur (Bijnor), Shahjahanpur and Hapur.

- जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्र के रूप में कार्यरत रीजनल सेन्टर द्वारा प्रदत्त तकनीकी इनपुटस तथा मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सात जे.एन. एन.यू.आर.एम. शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं मथुरा हेतु तैयार की गयी सभी नगर विकास योजनाओं (सी.डी.पी.) को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपशिष्ट कूडा प्रबन्धन हेतु रीजनल सेन्टर को नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है। इस संबंध में केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश के 17 शहरों यथा अलीगढ़, झांसी, बलिया, बस्ती, सम्भल, बदायूं, कन्नौज, गोरखपुर, मुरादाबाद, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, मेरठ तथा मथुरा हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं तथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, शाहजहांपुर हेतु डी.पी.आर. शीघ्र ही पूर्ण हो जायेंगे। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा मूल्यांकित किए जाने के पश्चात्, 13 डी.पी.आर. राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को प्रेष्ति किए गए थे, जिसने सितम्बर 8, 2006 को आहूत बैठक में सभी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को अनुमोदन प्रदान कर दिया। यह सभी प्रतिवेदन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भी अनुमोदित किए जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा राज्य की 628 नगरीय निकायों में डबल ऐन्ट्री एकाउन्टिग सिस्टम (डी.ई.ए.एस.) के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिये आर.सी.यू.ई.एस. को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा राज्य के इलाहाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, झांसी नगर निगमों के लिये तथा फिरोजाबाद, फैजाबाद, फतेहपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, बिजनौर, वृन्दावन, हलदौर (बिजनौर), शाहजहाँपुर तथा हापुड़ पालिका परिषदों में ज्योग्राफिकल इनफारमेंशन सिस्टम (जी.आई.एस.) तथा कम्प्यूटराईजेशन के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिये आर.सी.यू.ई.एस. को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

The test of our progess is not whether we add more to the abundance of those who have much; it is whether we provide enough for those who have too little.

- Franklin Delano Roosevelt

RCUES NEWS

UTTAR PRADESH

TRAINING PROGRAMMES Public - Private Partnership In Municipal Governance

Given the poor state of finances of urban governments in India, the demand for increasing urban environmental infrastructure such as water supply, sanitation, effluent treatment, and waste management can only be met through innovative programmes. The services can only be delivered more efficiently and effectively by the involvement of private sector keeping in view the fact that the private sector has the advantage of having better record of efficiency in resource utilization.

Keeping the importance of Public-Private Partnership in urban services delivery system, the Regional Centre organized a five days training programme on **PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN MUNICIPAL GOVERNANCE from July 24-28, 2006.** The programme was attended by twenty-five senior level officers comprsing of Executive Officers and Civil Engineers of urban local bodies, Uttar Pradesh.

The objectives of the course were as follows: to underline the need for importance of private sector participation in urban management; to acquaint the participants with various modes of private sector participation; to make them aware of the need to develop effective regulatory mechanism, to safe guard the interests of the citizens; and to acquaint participants with best municipal-private sector participation in various sectors.

The programme through lecture discussion session focussed on need for private sector participation in urban management, modes/options of municipal-private sector participation, development of regulatory frame work and enabling environment for private sector participation etc. A study tour to Kanpur Nagar Nigam where hospital waste management is being done through public-private partnership was also organised. The guest faculty consisted of senior officers from the State government and non-government organizations, as well as the internal faculty of RCUES.

Sri S.P. Singh, Special Secretary, Department of Urban Development, Uttar Pradesh was the Chief Guest at the Valedictory Session.

उत्तर प्रदेश

प्रशिक्षण कार्यक्रम म्युनिसिपल अभिशासन में सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की सहभागिता

भारत में नगरीय सरकारों की असंतोषजनक आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नगरीय अधोसंरचनाओं यथा जलापूर्ति, स्वच्छता, एफलुऐंट ट्रीटमेंट, कूड़ा प्रबंधन की निरंतर बढ़ती मॉग की आपूर्ति केवल अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से ही की जा सकती है। चूँकि निजी क्षेत्र संसाधनों को अधिक प्रभावशील ढंग से उपयोग कर पाने में सक्षम है अतः केवल निजी क्षेत्र की सहभागिता से ही नगरीय सेवाएं अधिक बेहतर तथा प्रभावी ढंग से प्रदान की जा सकती है।

नगरीय सेवाओं को प्रदान करने में सार्वजनिक—निजी क्षेत्र की सहभागिता के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र द्वारा म्युनिसिपल अभिशासन में सार्वजनिक—निजी क्षेत्र की सहभागिता विषयक एक पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जुलाई 24—28, 2006 के दौरान किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की नगरीय निकायों के 25 अधिकारियों जिनमें अधिशासी अधिकारी तथा सिविल अभियंता सम्मिलित थे, द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे:– नगरीय प्रबंधन में सार्वजनिक–निजी क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालना, पी.पी.पी. के विभिन्न माड्यूल्स से परिचित कराना, नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु प्रभावी नियामक तंत्र को विकसित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में म्युनिसिपल तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से किए गए अभिनव प्रयासों की जानकारी देना था।

कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान—परिचर्चा सत्रों के माध्यम से मुख्य विषयों यथा नगरीय प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की सहभागिता की आवश्यकता, म्युनिसिपल—निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु माड्यूल्स, रैग्यूलेटरी फ्रेमवर्क का विकास तथा सफल केस स्टडीज आदि पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को कानपुर नगर निगम के भ्रमण हेतु भी ले जाया गया जहॉ हास्पिटल वेस्ट का प्रबन्धन निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जा रहा है। अतिथि वक्ताओं में राज्य सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं तथा केन्द्र की आन्तरिक फैकल्टी सम्मिलित थे।

समापन सत्र की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्री एस०पी०सिंह द्वारा की गई। The course was directed by Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director who was assisted by Dr. A.K. Singh, Asstt. Director.

Workshop on Good Urban Practices

The rapid population growth and uncontrolled industrial development are seriously degrading the urban environment and placing an enormous strain on natural resources and undermining efficient and sustainable development.

The issue of solid waste management has been given significant importance in both the newly launched schemes of JNNURM, UIDSSMT and the Twelfth Finance Commission.

Report Card System is a strategic tool developed to help citizens to provide feed back and engage state agencies in efforts to improve service delivery and governance. The report card system has been introduced in several cities and towns.

Double entry accounting system is an effective and better tool of accounting. Under JNNURM, it has been made mandatory for all the ULBs to convert from single entry to double entry system of accounting for efficient management of accounts.

Keeping in view the importance of the above issues the Regional Centre organized a **Workshop on Good Urban Practices on August 3, 2006 at Bhopal.**

The key objectives of the workshop were : to acquaint the participants with the Report Card Process, to acquaint the participants with the importance, need and system of survey under RC process, to acquaint the participants with the importance of double entry accounting system, and to make the participants feel the need and importance of solid waste management.

The workshop was lecture-cum-discussion based. Detailed presentations were made on various aspects of report card system, solid waste management and double entry accounting system.

The workshop was attended by 92 participants including Commissioners of Nagar Nigams, Divisional/ Deputy Directors of Urban Administration, departmental Executives/Engineers and Chief Municipal Officers of Class-1 towns.

Besides internal faculty, services of the experts in the field were used. The experts included Shri P.U. Asnani, Member, Supreme Court Committee on SWM, Sri Satish Malik, Consultant, RCUES and Sri Rajiv Tingal, Consultant, RCUES. डा०अंजुली मिश्रा, उप निदेशक ने कार्यक्रम का निर्देशन किया तथा डा०ए०के०सिंह, सहायक निदेशक ने सहायता प्रदान की।

कार्यशाला

गुड अरबन प्रैक्टिसस

तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा अनियंत्रित औद्योगिक विकास नगरीय पर्यावरण को गम्भीर रूप से अवक्रमित कर रहे हैं तथा प्राकृतिक स्रोतों पर वृहद दबाव डाल रहे हैं एवं प्रभावी एवं पोषणीय विकास को क्षति पहुँचा रहे हैं।

हाल ही में प्रारम्भ की गई योजनाओं जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा बारहवें वित्त आयोग में अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन के मुद्दे को सार्थक महत्व प्रदान किया गया है।

रिपोर्ट कार्ड सिस्टम एक ऐसा कुशल साधन है जो नागरिकों से नगरीय सेवाओं पर पुनर्निवेशन प्राप्त करने में सहायक है तथा शासकीय एजेंसियों को सेवा प्रदायता तथा अभिशासन में सुधार लाने के प्रयासों की ओर ले जाता है। रिपोर्ट कार्ड सिस्टम कई शहरों एवं नगरों में लागू किया गया है।

डबल इंट्री एकांउटिंग सिस्टम लेखा प्रणाली का एक बेहतर तथा प्रभावी साधन है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत लेखों के प्रभावी प्रबंधन हेतु नगरीय निकायों के लिए सिंगल इंट्री सिस्टम के स्थान पर डबल इंट्री एकांउटिंग सिस्टम को लागू करना अनिवार्य किया गया है।

उपरोक्त मुद्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा 'गुड अर्बन प्रैक्टिसस' विषयक एक कार्यशाला का आयोजन अगस्त 3, 2006 को भोपाल में किया गया।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे : प्रतिभागियों को रिपोर्ट कार्ड प्रक्रिया से परिचित कराना, आर0सी0 प्रक्रिया में सर्वेक्षण की आवश्यकता, महत्व तथा प्रणाली से अवगत कराना, डबल इंट्री एकांउटिंग सिस्टम के महत्व से परिचित कराना तथा प्रतिभागियों को अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन की आवश्यकता तथा महत्व से अवगत कराना।

कार्यशाला व्याख्यान तथा विचार—विमर्श पर आधारित थी। कार्यक्रम के दौरान रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन तथा डबल इंट्री एकांउटिंग सिस्टम के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किए गए।

कार्यशाला में नगर निगमों के आयुक्तों, संभागीय उप निदेशक, नगर प्रशासन, विभागीय अधिकारियों / अभियंताओं तथा प्रथम श्रेणी के शहरों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों सहित 92 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंतरिक फैकल्टी के अतिरिक्त, विषय के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली गई। विशेषज्ञों में श्री पी.यू.असनानी, सदस्य, एस. डब्ल्यू.एम. पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति, श्री सतीश मलिक, सलाहकार, आर.सी.यू.ई.एस. तथा श्री राजीव टिंगल, सलाहकार, आर.सी.यू.ई.एस. शामिल थे।

मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है।

– अर्ल नाइटिंगैल

The participants and municipal officials of the Madhya Pradesh Government at the close of workshop felt more informed and sensitized towards the urgent need of implementing Report Card System and Double Entry Accounting System in the State. They were able to get more information about the latest technologies and best practices of SWM.

Sri P.D. Meena, Principal Secretary, Urban Administration & Development Department while appreciating the work being done by RCUES in U.P., advocated that RCUES should take up the work of implementing the Report Card System and Solid Waste Management in the state on priority basis. Regarding implementation of Geographical Information System, he suggested RCUES to submit detailed financial proposal for the same.

Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director directed the workshop.

Area Based Property Tax System : Principles And Practices

Patna Municipal Corporation was one of the first municipal bodies to reform its property tax system. The model adopted by this Corporation is characterized by 'simplicity and low rates'. The First State Finance Commission emphasized the necessity for wholesale reform of the then existing system of property taxes in Uttar Pradesh and made a number of important suggestions in this regard. The U.P. Government also introduced the carpet area based assessment system of property tax in Nagar Nigams, broadly on the Patna Corporation Model, with the aim of bringing about transparency and objectivity in the procedure of assessment of this tax and improving the financial position of Nagar Nigams.

Hence a five days' training programme on "Area Based Property Tax System: Principles and Practices" was organized by the Centre for the senior municipal officials from August 21-25, 2006. The programme was attended by seventeen senior municipal officials from the states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

The main objectives of the training were to make the participants aware of the principles of the area based property tax system; to acquaint them with necessary tools and techniques for the administration of the new system; to highlight the managerial and personnel issues that need attention while switching over to the new system and; measures that need to be taken to ensure that the new system is citizen-friendly and transparent.

The focus areas of the training included importance of Property Tax Administration in present urban context,

कार्यशाला की समाप्ति पर प्रतिभागियों तथा मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने स्वयं को लाभान्वित महसूस किया तथा राज्य में रिपोर्ट कार्ड सिस्टम तथा डबल इंट्री एकांउटिंग सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त लागू करने की आवश्यकता को पहचाना। एस.डब्ल्यू.एम. की नवीनतम तकनीकों तथा उत्तम प्रैक्टिसस के सम्बन्ध में भी प्रतिभागियों ने अधिक जानकारी प्राप्त की।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री पी0डी0मीना ने केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इस बात का समर्थन किया कि मध्य प्रदेश में भी रिप्नोर्ट कार्ड सिस्टम तथा डबल इंट्री एकांउटिंग सिस्टम लागू करने संबंधी कार्य केन्द्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। ज्योग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम को लागू करने हेतु उन्होंने केन्द्र को विस्तृत वित्तीय प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए सुझाव दिया।

कार्यशाला का निर्देशन डा0राजीव नारायन, उप निदेशक द्वारा किया गया।

क्षेत्र आधारित सम्पत्ति कर प्रणाली : सिद्धांत तथा व्यवहार

सम्पत्ति कर प्रशासन में सुधार लागू करने हेतु पटना नगर निगम अग्रणी नगरीय निकायों में से एक था। निगम द्वारा अपनाए गए इस माडल की विशेषतायें इसकी सरलता तथा अल्प दरें हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदेश में उस समय लागू सम्पत्ति कर प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने पर विशेष बल दिया गया तथा तत्संबंधी कई महत्वपूर्ण संस्तुतियॉ भी की गई। इस कर की मूल्यांकन पद्धति में पारदर्शिता तथा वस्तुनिष्ठता लाने के उद्देश्य से एवं नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पटना मॉडल के आधार पर नगर निगमों में सम्पत्ति कर के मूल्यांकन हेतु कारपेट एरिया प्रणाली लागू की गई।

• उक्त के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु **'क्षेत्र आधारित सम्पत्ति कर प्रणाली : सिद्धांत तथा** व्यवहार' विषय पर एक पॉच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र द्वारा अगस्त 21–25, 2006 के मध्य सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के 17 वरिष्ठ म्युनिसिपल अधिकारियों ने प्रतिभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे :– क्षेत्र आधारित सम्पत्ति कर प्रणाली के सिद्धांतों से प्रतिभागियों को परिचित कराना, नई प्रणाली के प्रशासन हेतु आवश्यक तकनीकों की जानकारी देना, मैनेजीरियल तथा पर्सनल मुद्दों पर चर्चा करना तथा उन उपायों पर प्रकाश डालना जिससे नई प्रणाली नागरिकों की मित्र तथा पारदर्शी बन सके।

कार्यक्रम के मुख्य विषयों में वर्तमान नगरीय परिप्रेक्ष्य में सम्पत्ति कर प्रशासन का महत्व, क्षेत्र आधारित सम्पत्ति कर प्रणाली के प्रमुख बिन्दु, कर प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण, प्रणाली



salient features of Area-Based Property Tax System, implementing the Self-Assessment System, changes required for administering the area-based property tax system including computerization of the tax management and necessary measures to make the system citizenfriendly. Two Study Tours were organized to Kanpur and Lucknow Nagar Nigams, where participants were made aware of the applications of GIS scheme in property tax management system. There was also a Panel Discussion on "Problems and Suggestions in Strengthening Property Tax System" which was presided over by Sri Diwakar Tripathi, Director, State Urban Development Agency, Government of Uttar Pradesh and led by Prof. Nishith Rai, Director of RCUES.

The Guest Faculty included Sri Diwakar Tripathi, Director, SUDA; Sri A.K. Gupta, Chief Engineer, Local Bodies, Sri U.V.S. Rathore, Expert, Third State Finance Commission; Sri P.N. Ojha, Expert, Computerization of Property Tax System, Mirzapur Nagar Palika Parishad, Sri Alok Singh, Expert, GIS Technology and Sri U.N. Tiwari, Additional Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Kanpur and faculty of Regional Centre.

The participants were generally satisfied with the course which had fulfilled its objectives to a great extent. They were also satisfied with the provision of study tours as it contributes some important knowledge to them. They suggested that such courses should also include elected representatives of urban Local Bodies.

The Course was directed by Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director under the overall guidance of Prof. Nishith Rai, Director of RCUES and was assisted by Dr. A.K. Singh, Asst. Director.

GOOD URBAN GOVERNANCE; PRINCIPLES AND PRACTICES

In Indian cities the overwhelming problem is not urban growth in itself, but the fact that city administration lacks the will and the competence to effectively manage the resources. The growing urban population, haphazard and unplanned urban development, degrading urban environment and increasing level of poverty can be managed only by good urban governance. With this end in view, the RCUES organized a five days' training programme on **GOOD URBAN GOVERNANCE: PRINCIPLES AND PRACTICES on August 28 to September 1, 2006.**The programme was attended by twenty two senior level officers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh belonging to various urban local bodies.

The main objectives of the training programme were as follows: to make the participants aware of good governance attributes, to highlight the need for SMART को नागरिकों का मित्र बनाने हेतु आवश्यक कदम आदि शामिल थे। इनके अतिरिक्त लखनऊ एवं कानपुर नगर निगम हेतु दो अध्ययन भ्रमण भी आयोजित किए गए जिनमें प्रतिभागियों को सम्पत्ति कर प्रशासन में जी.आई.एस. के उपयोग से परिचित कराया गया। सूडा के निदेशक श्री दिवाकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में 'सम्पत्ति कर प्रणाली का सुदृढ़ीकरण : समस्याएं एवं सुझााव' विषयक पैनल सन्न में केन्द्र के निदेशक प्रो0निशीथ राय के मार्गदर्शन में चर्चा भी की गई।

अतिथि वक्ताओं में श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक, सूडा, श्री ए०के०गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय, श्री यू०वी०एस०राठौर, विशेषज्ञ, तृतीय राज्य वित्त आयोग, श्रीपी०एन०ओझा, विशेषज्ञ, मिर्जापुर में सम्पत्ति कर प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, श्री आलोक सिंह, विशेषज्ञ, जी.आई.एस. टैक्नोलोजी तथा श्री यू०एन०तिवारी, अपर नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम तथा केन्द्र के अधिकारीगण शामिल थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागी सामान्यतया संतुष्ट थे। अध्ययन भ्रमणों के प्रति भी अधिकारियों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई जिनके माध्यम से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यक्रमों में नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का निर्देशन डा0अंजुली मिश्रा, उप निदेशक ने प्रो0निशीथ राय, निदेशक, रीजनल सेंटर के मार्गदर्शन में किया तथा डा. ए.के. सिंह, सहायक निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की गई।

अच्छा नगरीय अभिशासन : सिद्धांत तथा व्यवहार

भारतीय नगरों में नगरीय वृद्धि अपने आप में एक जबरदस्त समस्या नहीं है, वरन इस नगरीय वृद्धि के प्रबंधन हेतु नगरीय प्रशासन में इच्छाशक्ति तथा स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन हेतु योग्यता का अभाव है। बढ़ती नगरीय जनसंख्या, अनियोजित नगरीय विकास, नगरीय पर्यावरण का गिरता स्तर तथा बढ़ती गरीबी का प्रबंधन केवल अच्छे नगरीय अभिशासन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में रीजनल सेंटर द्वारा 'अच्छा नगरीय अभिशासन : सिद्धांत तथा व्यवहार' विषयक एक पॉच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अगस्त 28 से सितम्बर 1, 2006 तक किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के 22 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई।

बदलते नगरीय परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट गवर्नेन्स की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, अच्छे अभिशासन की विशेषताओं संबंधी

जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। governance in the changing urban context, to highlight the best urban governance practices in the country and else where, and to examine the feasibility of their replication and the consequential change that needs to be undertaken-legislative, administrative etc.

The main contents of the course included good governance: concept & attributes, municipal structures and organizations, financial management, urban services & e-governance, private sector and community participation in urban management, inter-agency coordination, Report Card System and successful case studies.

The quest faculty included Sri R. S. Sinha, Senior Hydrologist of the Ground Water Department, Government of U.P., Sri R.K. Gupta, Manager Systems, UPDESCO, Government of U.P., Sri Rajeev Tingle, Director, Integrated Management Group, Lucknow and Sri Alok Singh, Infosys Pvt. Limited, Lucknow.

The Chief Guest at the Valedictory Session was Sri Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Sri R.K. Srivastava, Secretary, Urban Development, Government of Jharkhand and Sri Anil Kumar Sagar, Director, Local Bodies, U.P. were also present at the session. Prof. Nishith Rai, Director, RCUES, Lucknow while welcoming the guests, participants and officials, expressed his views on importance of training.

Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director, RCUES coordinated the training programme under the overall guidance of Prof. Nishith Rai, Director, RCUES.

JNNURM, IHSDP and Preparation of Detailed Project Reports(DPR)

A three days residential training programme on 'JNNURM, IHSDP and Preparation of Detailed Project Reports' was conducted by the Centre from 5-7 September, 2006. It was sponsored by the State Urban Development Agency (SUDA). 19 project officers, assistant project officers and engineers from SUDA and various DUDAs participated in the programme.

The primary objectives of the programme were to sensitize the participants to understand the mission behind JNNURM, to help them understand the concept of JNNURM, BSUP, UIDSSMT and IHSDP, to help them understand the aspects, elements and techniques of Detailed Project Report Preparation and its appraisal and to help the participants visualize a road map for the success of JNNURM.

The contents of the programme included impact of urbanisation on formulation of policies since independence and their effects on poverty alleviation, जानकारी प्रदान करना, देश तथा अन्यत्र स्थलों पर अच्छे नगरीय अभिशासन के प्रयासों को दोहराने हेतु व्यवहार्यता का परीक्षण करना तथा उनको लागू करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक तथा विधिक उपायों पर विचार विमर्श करना इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य विषय अच्छा अभिशासनः अवधारणा तथा विशेषतायें, म्युनिसिपल संरचनाऐं तथा संस्थाऐं, वित्तीय प्रबन्धन, नगरीय सेवायें तथा ई–गवर्नेन्स, नगरीय प्रबन्धन में निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक सहभागिता, अर्न्त–एजेंसी समन्वय, रिपोर्ट कार्ड प्रणाली तथा सफल केस स्टडीज थे।

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य भूगर्भ विभाग के वरि ठ हाइड्रोलोजिस्ट श्री आर.एस.सिन्हा, यू.पी.डैस्को के मैनेजर सिस्टम्स, श्री आर.के.गुप्ता, इंटीग्रेटेड मैनेजमैंट ग्रुप, लखनऊ के निदेशक श्री राजीव टिंगल, इन्फोसिस(प्रा.) लि. लखनऊ से श्री आलोक सिंह आदि विशेषज्ञ तथा रीजनल सेंटर की आंतरिक फैकल्टी वक्ताओं में शामिल थी।

श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव श्री आर0के0श्रीवास्तव तथा उत्तर प्रदेश शासन के स्थानीय निकाय निदेशक, श्री अनिल कुमार सागर भी मौजूद थे। प्रो0निशीथ राय, निदेशक, रीजनल सेंटर ने अतिथियों तथा अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए।

डा0अंजुली मिश्रा, उप निदेशक ने केन्द्र के निदेशक प्रो0 निशीथ राय के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का निर्देशन किया

जे0एन0एन0यू0आर0एम0, आई0एच0एस0डी0पी0 तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी

केन्द्र द्वारा 'जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0, आई0 एच0 एस0 डी0 पी0 तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ,की तैयारी' विषयक एक तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सितम्बर 5–7, 2006 के मध्य किया गया। यह कार्यक्रम राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रायोजित था। कार्यक्रम में सूडा तथा विभिन्न डूडा के 19 परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा अभियंताओं ने प्रतिभागिता की।

कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्यों में प्रतिभागियों को जे.एन. एन.यू.आर.एम. के मिशन से संवेदीकृत करना, जे.एन.एन.यू. आर.एम., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा आई. एच.एस.डी.पी. की अवधारणाओं से अवगत कराना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा मूल्यांकन हेतु विभिन्न मुद्दों, तत्वों तथा तकनीकों को समझाना तथा जे.एन.एन.यू. आर.एम. की सफलता के लिए एक रोड मैप तैयार करना था।

कार्यक्रम में स्वाधीनता के पश्चात नीति निर्माण पर नगरीकरण का प्रभाव तथा नीतियों का नगरीय गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव, जे.एन.एन.यू.आर.एम., आई.एच.एस.डी.पी., लो कास्ट

(6)

JNNURM, IHSDP, elements required for the preparation of low cost housing projects, sewerage, water supply, drainage and solid waste management, appraisal of urban projects and building a road map for success of JNNURM.

Besides the internal faculty, guest faculty included Sri Diwakar Tripathi, Director, SUDA, Lucknow, Sri S.L. Nagdev, Consultant, Awas Bandhu and Sri A.K.Gupta, Chief Engineer, Directorate, Local Bodies, Lucknow.

The training programme was inaugurated by Prof.Nishith Rai, the Director of RCUES. It was concluded by Sri Diwakar Tripathi, Director, SUDA, who also gave away certificates to the participants.

The participants felt that since the time allotted for the preparation of project reports was less, a separate programme should be devoted to the subject in which groups of participants could actually visit and study different areas, make an impact assessment and practically prepare project reports.

The programme was conducted by Dr.Padma lyer, Dy.Director.

Management of Urban Environment

Environmental awareness is essential to harmonize patterns of individual/institutional behavior in harmony with environmental conservation. Access to environmental information is the key channel by which stakeholders evaluate compliance of their action with environmental standards, legal requirements etc. It is with this background that Regional centre organized a five days training programme on **Management of Urban Environmet from September 12-16, 2006.** Twenty- four senior officials from Uttar Pradesh and Chhatisgarh attended the course.

The major objectives of the programme were : to make the different organizations dealing with the urban developmental activities realize the need for environmental protection; to acquaint the participants with various laws relating to urban environment and the agencies responsible for their enforcement; to highlight the adverse environmental impact, in general and on air, water and noise in particular, in the context of changing urban scenario, and to underline the need for active civil society participation in environmental management.

A number of relevant topics through the lecturediscussion sessions were covered during the five days duration of the programme. Besides highlighting the आवासीय योजनाओं, सीवरेज, जलापूर्ति, जल निकासी तथा अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन संबंधी योजनाओं के निर्माण तथा मूल्यांकन हेतु आवश्यक तत्व तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. की सफलता के लिए रोड मैप तैयार करने संबंधी विषय सम्मिलित किए गए थे।

केन्द्र की आंतरिक फैकल्टी के अतिरिक्त अतिथि वक्ताओं में श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक, सूडा, श्री एस.एल.नागदेव, परामर्शदाता, आवास बन्धु तथा श्री ए.के.गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ शामिल थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्र के निदेशक प्रो0निशीथ राय द्वारा किया गया। सूडा के निदेशक श्री दिवाकर त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

प्रतिभागियों ने महसूस किया कि चूंकि परियोजना तैयार करने के लिए कम समय निर्धारित किया गया था, अतः इस हेतु एक पृथक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें प्रतिभागी विभिन्न क्षेत्रों का वास्तविक रूप से भ्रमण तथा अध्ययन कर सकें तथा प्रायोगिक रूप से परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर सकें।

कार्यक्रम का संचालन डा0पद्मा अय्यर, उप निदेशक द्वारा किया गया।

> नगरीय पर्यावरण का प्रबन्धन

व्यक्तिगत / संस्थागत व्यवहार के पैटर्न को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पर्यावरण जागरूकता आवश्यक है। पर्यावरणीय सूचनाओं तक पहुँच ही एक ऐसा मुख्य माध्यम है जिसके द्वारा स्टेकहोल्डर्स अपनी गतिविधियों का अनुपालन पर्यावरणीय मानकों, विधिक शर्तो आदि के सापेक्ष मूल्यांकित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में केन्द्र द्वारा 'नगरीय पर्यावरण का प्रबन्धन' विषय पर एक पॉच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सितम्बर 12 से 16, 2006 तक किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों से 24 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। कार्यक्रम के मुख्य उददेश्य निम्नवत थे :– नगर विकास

से सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं को पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता से परिचित कराना, प्रतिभागियों को नगरीय पर्यावरण संबंधी अधिनियमों तथा उनको लागू करने वाली संस्थाओं से परिचित कराना, बदलते नगरीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण पर होने वाले सामान्य दुष्प्रभावों तथा विशेषकर वायु, जल एवं ध्वनि पर प्रकाश डालना तथा पर्यावरण प्रबन्धन में सिविल सोसाइटी की सक्रिय प्रतिभागिता पर बल देना।

कार्यक्रम की पाँच दिवसीय अवधि के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों यथा नगरीय पर्यावरणः प्रमुख मुद्दे तथा

A nation without the means of reform is without means of survival - Edmund Burke

key issues and challenges of urban environment, the contents of the programme focused on sustainable urban development in the environmental context, solid waste management, rain water harvesting and role of NGOs and community in protection and conservation of environment, environmental impact assessment, JNNURM etc. Two field visits - one to E-SUVIDHA CENTRE at lucknow and another to a government hospital were also organized to witness the arrangements made for handling the hospital waste where participants had fruitful discussions with the concerned officials and obtained latest information.

Besides the internal faculty, the guest faculty included Sri S.P. Singh, Special Secretary, Department of Urban Development, Govt. of U.P., Sri T.N. Dhar, IAS (Retd) Ex. Chariman, 2nd State Finance Commission, Uttar Pradesh, Sri. Abhiraj Singh, Director, Ministry of Environment & Forests, Sri R.S. Sinha, Senior Hydrologist, U.P. State Ground Water Deptt., Sri V.P. Sharma, Scientist, Industrial Toxicology Research Centre, Sri R.K. Hajela, Jt. Director, State Planning Institute, Sri G.P. Sahi, Dy. Director, U.P. H.S.D.P. and Smt. Pratibha Mittal, Vice-President, Exonora, Lucknow.

Sri S.P. Singh, Special Secretary, Deptt. of Urban Development, Govt. of U.P. while inaugurating the programme. emphasized specifically upon devising appropriate machanism for balancing the environmental concerns with the economic development in order to achieve the environmental sustainability. While presiding over the valedictory session, Sri Abhiraj Singh, Director, Ministry of Environment and Forests stressed on the need for coherent efforts on the part of all stakeholders to successfully counter environmental challenges.

Following were the major suggestions made by participants.

- More stress should be given on the simplification of procedures adopted for the implementation of environmental programmes in the context of present democratic set up in urban local bodies.
- Elected representatives should also be sensitized about the gravity of environmetal problems and the remedial measures required to minimize the same.
- General masses should also be made aware about the deteriorating environment and their role and responsibilities in conserving and preserving the environment through wide publicity and awareness campaigns.
- In order to sensitize the officials and non-officials of ULBs about the JNNURM and related schemes, programmes should be conducted at local level.

The Programme was directed and organized by [#] Dr. Urmila Bagga, Joint Director under the overall guidance of Prof. Nishith Rai, Director, RCUES. चुनौतियॉ, पर्यावरणीय संदर्भो में पोषणीय विकास, अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन, हास्पिटल वेस्ट मैनेजमैंट, रेन वाटर हारवैस्टिंग, पर्यावरण सुरक्षा में गैर सरकारी संस्थाओं तथा समाज का योगदान, इन्वायरनमैन्टल इम्पैक्ट एसैसमैंट इत्यादि पर व्याख्यान–परिचर्चा सत्रों के माध्यम से सार्थक विचार विमर्श हुआ। प्रतिभागियों को अध्ययन भ्रमण हेतु लखनऊ के ई–सुविधा सेन्टर तथा हास्पिटल वेस्ट का प्रबन्धन दिखलाने हेतु एक सरकारी हस्पताल में भी ले जाया गया जहॉ सम्बद्ध अधिकारियों से सार्थक वार्ता हुई तथा कई अद्यतन जानकारियॉ प्राप्त हुई।

केन्द्र की फैकल्टी के अतिरिक्त अतिथि वक्ताओं में श्री एस.पी.सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, श्री टी.एन.धर, आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त),पूर्व अध्यक्ष, द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उ0प्र0, श्री अभिराज सिंह, निदेशक, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, श्री आर.एस.सिन्हा, वरिष्ठ हाइड्रोलोजिस्ट, उ0प्र0राज्य भूगर्भ विभाग, श्री वी0पी0शर्मा, वैज्ञानिक, आई.टी. आर.सी.,लखनऊ, श्री आर.के.हजेला, संयुक्त निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान, श्री डी.पी.साही, उप निदेशक, यू.पी.एच.एस. डी.पी., लखनऊ तथा श्रीमती प्रभा मित्तल, उपाध्यक्ष, एक्सोनोरा, लखनऊ शामिल थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री एस0पी0सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने आर्थिक विकास के साथ—साथ पर्यावरणीय पोषणयीता प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र / प्रक्रिया अपनाने पर विशेष बल दिया। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री अभिराज सिंह, निदेशक, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा समन्चित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रतिभागियों द्वारा निम्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए:–

- नगरीय निकायों की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्यावरणीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- ' निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को भी पर्यावरणीय समस्याओं की गंभीरता तथा उनको न्यूनतम करने हेतु उठाए गए उपायों के प्रति संवेदीकृत किया जाना चाहिए।
 - विज्ञापनों तथा जन—जागरण अभियानों के माध्यम से जन सामान्य को भी पर्यावरण की गिरती हुई गुणवत्ता तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका एवं दायित्वों से परिचित कराया जाना चाहिए।
 - अधिकारियों एवं गैर सरकारी अधिकारियों को जे.एन.एन. यू.आर.एम. तथा अन्य संबंधित योजनाओं के प्रति संवेदीकृत करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का निर्देशन तथा संचालन डा0उर्मिला बग्गा, संयुक्त निदेशक द्वारा केन्द्र के निदेशक प्रो0निशीथ राय के मार्गदर्शन में किया गया।

Management Of Low Cost Housing Schemes

The low-income households contribute greatly to the economic development of the country and their housing needs should be accepted as state responsibility. Various governments in developing countries are allocating substantial resources for housing for the low-income people. However, looking into the size of the problem, and the available resources, it is necessary to effect cost reduction through better design, selection of cheap material, saving in labour and through appropriate technology. Hence, a five days' training programme on "**Management of Low Cost Housing Schemes**" was organized by the Centre for the municipal engineers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh from **September 19 to 23, 2006.** The programme was attended by fifteen senior level officers

The main objectives of the training programme were as follows: to highlight the importance of low cost housing in the present urban scenario; to identify available low cost housing policy options; to emphasize upon the advance planning, adoption of appropriate management techniques, low cost design and construction material etc. and to underline the importance of participatory approach to low cost housing projects etc.

The training programme concentrated on housing policy, need and importance of low cost housing projects, low cost designs, building material and construction techniques, financing of low cost housing projects, public-private partnerships and community participation etc. There was also a field visit to Building Centre of HUDCO, Government of U.P., Lucknow where participants learned the low cost techniques of buildings.

Besides the Internal Faculty of the RCUES, the eminent guest faculty consisted of Sri Thomas Antony, Appraisal Officer, HUDCO; Sri S.B. Verma, Chief Finance and Accounts Officer, Department of Education, Government of Uttar Pradesh, Sri Durgesh Pant, Retd. Advisor, Ministry of Rural Development, Govt. of India; Sri R.K. Gupta, Manager Systems, UPDESCO, Government of Uttar Pradesh; Sri Vinod Dhawan, Senior Architect, Lucknow; and Sri A.K. Gupta, Chief Engineer, Directorate of Local Bodies, Government of Uttar Pradesh.

Participants were of the unanimous opinion that the duration of the programme should be increased to ten days. They suggested that there should be one other field visit related to STORM Technology.

लो-कास्ट आवासीय योजनाओं का प्रबन्धन

देश के आर्थिक विकास में अल्प आय वर्ग के हाउसहोल्ड्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा उनकी आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति शासकीय दायित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में विभिन्न सरकारों द्वारा अल्प आय वर्गों हेतु आवास उपलब्ध कराने के लिए संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं। लेकिन समस्या के आकार तथा उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि कीमत में कमी लाने के लिए बेहतर डिजाइन, सस्ती सामग्री, श्रम में बचत तथा उपयुक्त टैक्नोलॉजी का चुनाव किया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में रीजनल सेन्टर द्वारा 'लो-कास्ट आवासीय योजनाओं के प्रबंधन' विषय पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के म्युनिसिपिल अभियंताओं हेतु एक पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सितम्बर 19–23, 2006 के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में 15 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाम लिया।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे:— वर्तमान नगरीय परिप्रेक्ष्य में लो—कास्ट हाउसिंग पर प्रकाश डालना, लो—कास्ट हाउसिंग संबंधी उपलब्ध नीति तथा विकल्पों पर चर्चा करना, अग्रिम नियोजन, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों का चुनाव, लो—कास्ट डिजाइन तथा निर्माण सामग्री के प्रयोग पर बल देना तथा लो—कास्ट हाउसिंग में सामुदायिक एप्रोच के महत्व पर प्रकाश डालना।

कार्यक्रम में आवास नीति, लो—कास्ट हाउसिंग परियोजनाओं की आवश्यकता तथा महत्व, लो—कास्ट डिजाइन, भवन निर्माण सामग्री तथा निर्माण तकनीकें, लो—कास्ट आवासीय परियोजनाओं हेतु वित्त प्रबंधन, सार्वजनिक—निजी क्षेत्र की सहभागिता, सामुदायिक प्रतिभागिता इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिभागियों को लखनऊ स्थित हुडको के बिल्डिंग सेन्टर में भी भ्रमण कराया गया जहाँ उन्होंने भवनों की लो—कास्ट तकनीकों के बारे में सीखा।

केन्द्र की आंतरिक फैकल्टी के अतिरिक्त अतिथि वक्ताओं में श्री थामस एन्टोनी, अप्रैजल अधिकारी, हुडको, श्री एस.बी. वर्मा, मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री दुर्गेश पंत, सेवानिवृत्त सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री आर.के.गुप्ता, मैनेजर सिस्टम्स, यू.पी.डैस्को, तथा श्री ए.के.गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार सम्मिलित थे।

सभी प्रतिभागियों ने एक मत से कार्यक्रम की अवधि को दस दिन का करने तथा स्टार्म टैक्नोलोजी हेतु एक अन्य भ्रमण का सुझाव दिया।

महान मस्तिष्कों में उददेश्य होते है अन्य लोगों के पास केवल इच्छायें होती है।

• – वाशिंगटन इरविंग

The course was directed by Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director under the overall guidance of Prof. Nishith Rai, Director, RCUES.

Three Workshops on Launch of Citizens Report Card

Report Card System is a strategic tool developed to help citizens provide feed back and engage state agencies in efforts to improve service delivery and governance.

Report Card system was introduced in our State on a pilot basis under the UNDP assisted project on Capacity Development for Urban Governance. This system is now to become a regular feature in Uttar Pradesh as well and the performance of the service providers would be ranked on this basis. This year the Centre in First phase Launched the Report Cards of all the 51 class I towns of U.P. **Three workshops on launch of Citizens Report Card** each of one day duration were organized by the Centre on **September 23, 24 and 25th, 2006.**

The objectives of the workshop were to discuss concept, need and importance of Report Card System; to discuss the planning strategy, process and method of the report card system being implemented; to discuss the findings of Report Card system; to discuss the ranking achieved by different towns, and to discuss the Action Plan to be prepared based on the findings of the Report Card.

Each workshop focused on concept, need and importance of Report Card System; planning strategy, process and method of the report card system being implemented, findings of Report Card system, ranking achieved by different towns and Action Plan based on findings of the report card. The workshop was lecture – cum -discussion based. Detailed presentations were made on findings of the report card.

About 25 participants including Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners from Nagar Nigams and officials of Urban Development Department and Jal sansthan, Executive Officers from ULBs attended the first workshop, while IInd and IIIrd workshops were attended by about 60 and 90 participants respectively. Besides the internal faculty, Sri Rajeev Tingle, Consultant, RCUES also made presentation.

The main outcome of the workshops was that the ULBs officials got more informed about the quality of services being provided by them in their local body. They

कार्यक्रम का निर्देशन डा0 अंजुली मिश्रा, उप निदेशक द्वारा प्रो. निशीथ राय, निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस. के मार्ग दर्शन में किया गया।

तीन कार्यशालाएं रिपोर्ट कार्ड सिस्टम का आरम्भ

रिपोर्ट कार्ड सिस्टम एक ऐसा कुशल साधन है जो नागरिकों से नगरीय सेवाओं पर पुर्ननिवेशन प्राप्त करने में सहायक है तथा शासकीय एजेंसियों को सेवा प्रदायता तथा अभिशासन में सुधार लाने के प्रयासों की ओर ले जाता है।

यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायतित नगरीय अभिशासन के लिए क्षमता संबर्धन विषयक परियोजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में अग्रगामी आधार पर रिपोर्ट कार्ड सिस्टम को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब यह प्रणाली एक नियमित कार्यक्रम होगी तथा सेवा प्रदायी संस्थाओं का प्रदर्शन इसी आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। प्रथम चरण में केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रेणी–1 के सभी 51 शहरों में रिपोर्ट कार्ड आरम्भ किया गया है। केन्द्र द्वारा रिपोर्ट कार्ड सिस्टम के लॉच पर तीन एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन सितम्बर 23, 24 तथा 25, 2006 को किया गया।

कार्यशाला के उद्देश्यों में रिपोर्ट कार्ड प्रणाली की अवधारणा, आवश्यकता तथा महत्व पर चर्चा करना, कियान्वित किए गए रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की नियोजन नीति, प्रक्रिया तथा पद्धति पर चर्चा करना, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम के परिणामों तथा विभिन्न शहरों द्वारा प्राप्त श्रेणी पर चर्चा करना तथा रिपोर्ट कार्ड के निष्कर्षो के आधार पर कार्य योजना बनाने पर विचार विमर्श करना शामिल थे।

प्रत्येक कार्यशाला में चर्चा, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की अवधारणा, आवश्यकता तथा महत्व, रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की नियोजन नीति, प्रक्रिया तथा पद्धति, विभिन्न शहरों की रैंकिंग तथा रिपोर्ट कार्ड के परिणामों पर आधारित कार्य योजना सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रित की गई। कार्यशाला व्याख्यान– परिचर्चा सत्रो पर आधारित थी। रिर्पोट कार्ड के निष्कर्षों पर विस्तुत प्रस्तुतिकरण किये गये।

प्रथम कार्यशाला में 25 प्रतिभागियों जिनमें उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग तथा जल संस्थान के अधिकारी तथा नगर निगमों के आयुक्त / अपर आयुक्त सम्मिलित थे, द्वारा प्रतिभागिता की गई जबकि दूसरी तथा तीसरी कार्यशाला में कमशः लगभग 60 तथा 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आंतरिक फैकल्टी के अतिरिक्त, केन्द्र के सलाहकार श्री राजीव टिंगल द्वारा प्रस्तुतीकरण किए गए।

कार्यशालाओं का मुख्य निष्कर्ष यह था कि नगरीय निकायों से संबंधित अधिकारियों ने उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के गुणवत्ता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। नागरिकों की अत्यावश्यक आवश्यकताओं के बारे में तथा कार्य

(10)

got sensitized towards the urgent needs of the citizens and the priority areas to be taken up for the Action Plan.

Shri Anil Kumar Sagar, Director Local Bodies, Government of Uttar Pradesh suggested that based on the findings of the report card, priority areas should be taken up and Action Plan to be formulated on that basis. He was of the view that the assessment and suggestions of the citizens would help in improving the working of the local bodies.

These workshops were directed by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director.

BIHAR

Two Training Workshops For Elected Women Councillors Of Urban Local Bodies

Government of India has initiated a special scheme for building the capacity of elected women councillors by making them aware with the provisions of municipalities acts, their role and responsibilities, participation in the meetings, mobilization of resources for revenue generation, efficient delivery of civic services etc. through the residential training. These programmes have to be conducted under the joint auspices of Government of India and state government.

It is in this backdrop that the Regional Centre intends to organize a series of training workshops for the benefit of elected women councillors of Bihar state. Accordingly, the Regional Centre organized **two training workshops at Patna** for the elected women representatives of nagar palika parishads of Bihar from **July 6-8, 2006** and **July 17-19, 2006 respectively.** The first workshop was attended by 32 and second by 24 women councillors. Presentations on different aspects were made in the scheduled sessions through multimedia and overhead projector.

While inaugurating the first workshop, Hon'ble Minister for Urban Development, Government of Bihar, Sri Ashwini Kumar Chaube, stated 'Development of cities is possible only with the empowered participation of woman'. Dr. U.B. Singh, Jt. Director, Regional Centre, Lucknow welcomed the Chief Guest and participating women representatives and highlighted the importance योजना हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के प्रति अधिकारीगण संवेदीकृत हुए।

उत्तर प्रदेश शासन के स्थानीय निकाय, निदेशक श्री अनिल कुमार सागर ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट कार्ड के निष्कर्षों के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लिया जाना चाहिए तथा उसी आधार पर कार्य योजना भी बनायी जानी चाहिए। उनके मतानुसार नागरिकों का मूल्यांकन तथा उनके सुझाव नगरीय निकायों की कार्य प्रणाली को सुधारने में सहायक होंगे।

इन कार्यशालाओं का निर्देशन डा0राजीव नारायन, उप निदेशक द्वारा किया गया।

बिहार

नगरीय निकायों की निर्वाचित महिला पार्षदों हेतु दो प्रशिक्षण कार्यशालायें

निर्वाचित महिला पार्षदों को पालिका अधिनियमों की जानकारी देने, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित कराने, बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने, पालिकाओं के आय के स्रोतों के दोहन, सेवाओं की प्रदायता में दक्षता लाने आदि विषयों पर समुचित जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने हेतु महिला पार्षदों के क्षमता विकास के लिए भारत सरकार द्वारा आवासीय प्रशिक्षण की विशिष्ट योजना का शुभारम्भ किया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जाने हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में केन्द्र, ने बिहार की निर्वाचित महिला पार्षदों के प्रशिक्षण हेतु एक श्रृंखला तैयार की है। इस श्रंखला के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा बिहार की नगर पालिका परिषदों की महिला पार्षदों हेतु दो प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः जुलाई 6–8, 2006 तथा जुलाई 17–19, 2006 को पटना में सम्पन्न किया गया। प्रथम कार्यक्रम में 32 तथा द्वितीय कार्यक्रम में 24 महिला पार्षदों ने भाग लिया। निर्धारित सत्रों में मल्टीमीडिया तथा ओवरहैड प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रस्तूतिकरण किए गए।

प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री अश्विनी कुमार चौबे, नगर विकास मंत्री, बिहार सरकार ने कहा 'शहरों का विकास महिलाओं की सशक्त भागीदारी से ही संभव है'। केन्द्र के संयुक्त निदेशक डा. यू.बी. सिंह ने मुख्य अतिथि तथा महिला पार्षदों का स्वागत करते हुए महिलाओं के प्रशिक्षण के

किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिये बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिये संकट को न्यौता देना है। – थिओडोर रुज़वैल्ट of training for women. Dr. Shafeena, Director, BUDA also graced present on the occasion.

Sri P.K. Basu, Secretary, Urban Development, Government of Bihar addressed the participants of the second workshop. Sri Sugandh Chaturvedi, Dy. Director, BUDA represented the Urban Development department of Bihar Government during both the workshops.

Dr. U.B. Singh, Joint Director coordinated both the training workshops and was assisted by Dr. A.K. Singh, Asstt. Director.

JHARKHAND

Two Orientation Programmes For Special Officers

The Centre organized two orientation training programmes for the Special Officers of Jharkhand. These fortnight long courses were held from **Sept. 1 to 15**, **2006 and Sept. 16 to 30**, **2006 at Lucknow.** The series was designed to orient the officials on various dimensions of urban administration & management. All aspects of urban development and administration were covered under the programmes. In all 20 officers participated in these courses.

The series was inaugurated by the Sri A.K. Verma, Principal Secretary, Urban Development, Govt. of UP. In his address Sri Verma highlighted the changing roles of urban local bodies in the new millennium. The occasion was graced among others by Sri R.K. Srivastava, Secretary, Urban Development, Govt. of Jharkhand and Sri Anil Kumar Sagar, Director of Local bodies, UP. In his remarks Sri Srivastava emphasized on exploring new financial sources and re-introduction of octroi for bettering the financial health of municipalities in the states where octroi is either not imposed or abolished.

The Chief Guests at the valedictory session of the courses were Sri R.K. Mittal, Divisional Commissioner, Lucknow along with Dr. S.C. Rai, former Mayor, Lucknow and Prof. R.P. Singh, Vice-Chancellor, Lucknow University, respectively.

Both the courses were jointly directed by Dr. U.B.Singh, Joint Director, and Dr. A.K.Singh, Asst. Director.

महत्व पर विशेष बल दिया। डा॰ शफीना, निदेशक, बूडा भी इस अवसर पर उपस्थित थी।

द्वितीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को बिहार सरकार के आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास श्री पी.के. बसु ने सम्बोधित किया। उक्त दोनों कार्यक्रमों में नगर विकास विभाग का प्रतिनिधित्व श्री सुगन्ध चतुर्वेदी, उप निदेशक, बूडा ने किया।

उपरोक्त दोनों कार्यशालाओं का समन्वयन डा॰ यू०बी॰ सिंह, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया तथा डा॰ ए०के॰ सिंह, सहायक निदेशक, द्वारा सहायता प्रदान की गयी।

झारखण्ड

विशेष अधिकारियों हेतु दो ओरिएनटेशन कार्यक्रम

झारखण्ड के विशेष अधिकारियों के लिए केन्द्र द्वारा दो ओरिएनटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पन्द्रह दिनों की अवधि वाले इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन क्रमशः **सितम्बर 01 से 15, 2006 तथा सितम्बर 16 से 30, 2006** तक लखनऊ में किया गया। नगरीय प्रशासन एवं प्रबन्धन के विभिन्न आयामों पर जानकारी देने के दृष्टिकोण से इस श्रंखला की रूपरेखा तैयार की गयी है। कार्यक्रमों के दौरान नगरीय विकास तथा प्रशासन के सभी मुददों पर चर्चा की गयी। इन कार्यक्रमों में 20 अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

इस श्रंखला का उद्घाटन उ०प्र० के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री ए०के० वर्मा द्वारा किया गया। अपने सम्बोधन के दौरान श्री वर्मा ने नई शताब्दी में नगरीय स्थानीय निकायों की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव श्री आर०के० श्रीवास्तव तथा उ०प्र० सरकार के स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक श्री अनिल कुमार सागर भी उपस्थित थे। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु श्री श्रीवास्तव ने नए वित्तीय स्रोतों को तलाशने के साथ—साथ उन राज्यों में चुंगी को पुनः लागू करने पर भी विशेष बल दिया जहां पर चुंगी समाप्त कर दी गयी है अथवा लागू ही नहीं की गयी है।

उक्त कार्यक्रमों के समापन सत्र के अवसर पर लखनऊ के मण्डलायुक्त, श्री आर०के० मित्तल, पूर्व महापौर डा. एस.सी. राय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० आर.पी. सिंह उपस्थित थे।

दोनों कार्यक्रमों का निर्देशन डा. यू०बी० सिंह, संयुक्त निदेशक तथा डा० ए.के. सिंह, सहायक निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

P

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission

The Regional Centre for Urban and Environmental Studies has been designated as **STATE RESOURCE CENTRE (SRC)** by the Department of Urban Development, Government of U.P. for the various activities viz. training, information, education and communication and for monitoring and evaluation of various projects associated with the implementation of JNNURM.

Seven cities from Uttar Pradesh viz. Lucknow, Kanpur, Allahabad, Agra, Varanasi, Meerut and Mathura have been identified under the JNNURM for the central assistance for implementing various sectoral schemes meant for the planned development of cities during the Mission Period of Seven Years.

Preparation of City Development Plan is a prerequisite for availing monetary assistance under the Mission. The Regional Centre in its capacity of SRC along with the Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh undertook the task of selecting appropriate consultancy firms for preparation of CDP on behalf of the seven cities. After the selection of consultants, the Regional Centre continuously monitored and reviewed the preparation of CDP within the prescribed duration.

After the presentation of inception reports and rapid assessment reports, the consultants were required to make presentation of Draft CDP reports at the interdepartmental meetings held at the Regional Centre. The key purpose of these inter-state departmental meetings was to deliberate together on the draft CDPs prepared by consultancy organisations so that a final shape could be given to the plan after consensus of all concerned for the integrated development of Mission Cities. These meetings were held under the Chairmanship of Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh and were attended by Divisional Commissioners, District Magistrates, Municipal Commissioners/Additional Municipal Commissioners of identified cities, senior officials from the departments of Urban Development, Housing and Urban Planning, Transport, Tourism, Heritage, PWD, Finance, U.P. Jal Nigam, Jal Sansthans, Housing Board, State Urban Development Agency, besides Prof. Nishith

जवाहर लाल नैहरू नैशनल अरबन रिन्यूवल मिशन

जे.एन.एन.यू.आर.एम.योजना के कियान्वयन से सम्बद्ध विभिन्न गतिविधियों— यथा प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संचार सम्बन्धी, तथा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र को "**राज्य संसाधन केन्द्र**" (एस.आर.सी.) के रूप में नामित किया गया है।

मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा को मिशन अवधि के दौरान शहरों के नियोजित विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए चयनित किया गया है।

मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नगर विकास योजना बनाना एक पूर्वापेक्षा है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के सहयोग से क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र ने राज्य संसाधन केन्द्र के रूप में सातों शहरों की ओर से नगर विकास योजना बनाने हेतु समुचित परामर्शदात्री संस्था को चयन करने का कार्य सम्पन्न किया। सलाहकारों के चयन के पश्चात केन्द्र द्वारा नगर विकास योजना की निर्माण प्रक्रिया की विभिन्न स्तरों पर निरन्तर अनुश्रवण तथा समीक्षा की गई।

इनसैप्शन तथा रैपिड एसैसमैंट रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, सलाहकारों से केन्द्र के स्तर पर आयोजित अर्न्तविभागीय बैठकों में ड्राफ्ट सी.डी.पी. रिपोर्ट्स का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित था। इन अर्न्त–विभागीय बैठकों का प्रमुख उददेश्य परामर्शदात्री संस्थाओं द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट सी.डी.पी. पर विचार–विमर्श करना था ताकि मिशन नगरों के एकीकृत विकास हेतु सर्व सम्बन्धित की सहमति से योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इन बैठकों का आयोजन किया गया तथा संभाग आयुक्तों, जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, अपर नगर आयुक्तों तथा विभिन्न विभागों यथा नगर विकास, आवास एवं नगर नियोजन, परिवहन, पर्यटन, हैरीटेज, पी.डब्ल्यू.डी., वित्त, यू.पी. जल निगम, जल संस्थानों, आवास एवं विकास परिषद, राज्य नागर विकास अभिकरण, डूडा आदि के वरिष्ठ अधिकारियों तथा केन्द्र की ओर से प्रो०निशीथ राय,निदेशक, डा० उर्मिला बग्गा, संयुक्त निदेशक तथा डा०के०श्रीराम,

No law can be an 'unchangeable law'. It must be based on knowledge and as knowledge grows, it must grow with it. Pt. Nehru Rai, Director, Dr. Urmila Bagga, Joint Director and Dr. K. Sreeram, Consultant from the Centre. Valuable suggestions and important technical inputs were provided to the consultancy firms by the Centre based on the guidelines issued by the Government of India and the observations made by appraisal agencies while approving CDPs of other cities.

Presentations of draft CDPs for Lucknow and Kanpur were held on July 25, 2006, for Allahabad and Varanasi on July 26, 2006 and for Meerut, Mathua and Agra on July 27, 2006. A revised presentation for Lucknow was again made on July 31, 2006.

Final CDPs for all the seven cities were submitted to Ministry of Urban Development, Government of India for appraisal during mid of August 2006 and CDPs of all the seven cities viz. Lucknow, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Meerut, Agra and Mathurs have been approved by the Ministry.

Further, Review Meetings in order to ascertain the status of DPRs for various eligible sectors in the overall context of CDP were also held at the Centre. A Review Meeting for Agra and Meerut was held on September 20, 2006, for Kanpur, Allahabad and Mathura on September 21, 2006 and for Lucknow and Varanasi on September 22, 2066.

Besides all the miscellaneous activities relating to JNNURM, all the above mentioned meetings were conducted and co-ordinated jointly by Dr. Urmila Bagga, Joint Director and Co-ordinator JNNURM and Dr. K. Sreeram, Consultant in the Regional Centre.

Special Responsibility

Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Lucknow has been nominated as NODAL AGENCY by the State of Uttar Pradesh for the water supply, sewerage and drainage schemes implemented by Department of Urban Development. Following are the responsibilities of Centre as Nodal Agency:

- To study water supply, sewerage and drainage schemes, design, master plan, bid and preparation of DPR
- To identify the implementing agency
- Monitoring and supervision of implemented schemes
- Training for effective monitoring and maintenance

सलाहकार द्वारा प्रतिभागिता की गई। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों तथा मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं द्वारा अन्य शहरों की सी.डी.पी. के अनुमोदन के दौरान दिए गए प्रेक्षणों के आधार पर केन्द्र द्वारा बहुमूल्य सुझाव तथा महत्वपूर्ण तकनीकी इनपुट्स प्रदान किए गए।

लखनऊ एवं कानपुर हेतु ड्राफ्ट सी.डी.पी. का प्रस्तुतिकरण जुलाई 25, 2006 को, इलाहाबाद एवं वाराणसी हेतु जुलाई 26, 2006 को तथा मेरठ, मथुरा एवं आगरा के लिए जुलाई 27, 2006 को किया गया। लखनऊ का पुनरीक्षित प्रस्तुतीकरण जुलाई 31, 2006 को आयोजित किया गया।

सातों शहरों की अंतिम नगर विकास योजना अगस्त माह के मध्य में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को मूल्यांकन हेतु प्रेषित की गई तथा मंत्रालय द्वारा सातों शहरों – लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं मथूरा की सी.डी.पी. अनुमोदित कर दी गई है।

अग्रेतर सी.डी.पी. के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मान्य क्षेत्रों हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के स्टेटस से अवगत होने हेतु केन्द्र पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई। आगरा एवं मेरठ हेतु समीक्षा बैठक सितम्बर 20, 2006 को, कानपुर, इलाहाबाद तथा मथुरा हेतु सितम्बर 21, 2006 को, तथा लखनऊ एवं वाराणसी हेतु सितम्बर 22, 2006 को सम्पन्न हुई।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. से सम्बद्ध अन्य सभी कार्यो तथा उपरिलिखित सभी बैठकों का संचालन तथा समन्वयन केन्द्र की संयुक्त निदेशक डा०उर्मिला बग्गा तथा सलाहकार डा०के०श्रीराम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

> विशेष दायित्व

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग द्वारा कियान्वित पेय जलापूर्ति, सीवरेज तथा ड्रेनेज कार्यो हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया है। नोडल एजेंसी के रूप में केन्द्र के निम्न दायित्व हैं

- पेयजलापूर्ति, सीवरेज तथा ड्रेनेज योजना का अध्ययन, डिजाइन, मास्टर प्लान, बिड तथा डी.पी.आर. तैयार करना
- कार्यदायी संस्था का चुनाव करना
- क्रियान्वित योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण
- अनुरक्षण एवं रखरखाव को प्रभावी बनाए जाने हेतु प्रशिक्षण

14

NEWS FROM STATE JHARKHAND

- Elections to Ranchi Municipal Corporation are proposed in October - November 2006.
- Solid Waste Management in Ranchi is being done through PPP under the auspices of Clean Jharkhand Project.

On-Going Research Projects

- राँची नगर निगम हेतु चुनाव अक्टूबर नवम्बर 2006 में प्रस्तावित है।
- राँची में अपशिष्ट कूड़े का प्रबन्धन स्वच्छ झारखण्ड परियोजना के तत्वाधान में पी.पी.पी. के माध्यम से किया जाता है।
- Role Conflict Among Women Representatives in Rural Local Government (A Case Study of U.P.)
- Urban Environmental Infrastructural Services in India A study of Public Private Partnership Initiatives

FACULTY NEWS

Dr. Richa Varmani, Joint Director

- Attended Seminar on "Management of Services Tax: Latest Amendments" organized jointly by ICAI and PHDCCI at Lucknow on July 8, 2006
- Participated in National Seminar on "Consumer Protection in India" (August 12-13, 2006) at Lucknow
- Heard assessment appeals and finalized objections relating to triennial assessment of property tax as Member of the Assessment Committee of Lucknow Cantonment Board during the months of August and September, 2006.

Dr. Padma lyer, Dy. Director

- Delivered a lecutre on "Family Enterprises" at Institute of Environment and Management on August 12, 2006
- Delivered a lecture on 'Team Building and Motivation' at Lal Bhadur Shastri Institute of Management on August 20, 2006
- Delivered a lecture on 'Entrepreneurial Appraisal' at NABARD on September 9, 2006

Dr. A.K. Singh, Assistant Director

- Delivered Keynote address on "Status of Education in India" at Regional Seminar on Status of Education organized by Sahyog-Swawalamban, Lucknow on July 31, 2006
- Participated in Youth Panchayat, organized by Srijan Network, Delhi at Lucknow on July 11, 2006
- Presented paper on "Role of Civil Societies in Consumer Protection in India" at National Seminar on "Consumer Protection in India", organized by Institute for Applied Research and Development, Lucknow dated 12 & 13, July 2006
- Delivered Keynote address on "Emerging Trends in Management and Finance" in a Regional Seminar on "Management Education in India," organized by ICAFI, Lucknow, dated 3 September, 2006

Publications

- "Foreign Direct Investment in India: An Inter State Analysis", Indian Journal of Development Research & Social Action, Vol. 2 (1) Jan-June 2006
- "Tribal Land Alienation: A Study of U.P. & Uttaranchal" in 'Land and Forests Rights of Tribals Today' by R.M. Sarkar (Ed.), Serial Publications, Delhi, 2006
- "Status of Tribal Women in Uttaranchal" in 'Land and Forests Right of Tribals Today' by R.M. Sarkar, (Ed.), Serial Publications, Delhi, 2006
- "Tribal Ecology in India" in "Ecology, Culture and Sustainable Development' by Shukant Chaudhary (Ed.), Mittal Publications, Delhi, 2006

MODEL NAGARA RAJ BILL

The major objective of the Model Nagar Raj Bill is to amend the laws relating to municipalities to institutionalize the citizens participation in municipal functions eg. by setting priorities, budgeting provisions etc. by setting up of Area Sabhas and to provide for other connected matters. It shall extend to the whole of state excluding cantonment areas of the state.

Constitution and Governance of Area Sabha

Area Sabha means, in relation to an Area, the body of all the persons registered in the electoral rolls pertaining to every polling booth in the Area, in a municipality. The territorial extent of each Area shall be determined by the State Govt. There shall be an Area Sabha Representative (ASR) for each area. The Area Sabha Representative, elected or appointed shall be a member of the Ward Committee. An registered voter in an Area may file his nomination for the office of Area Sabha Representative within a period of four weeks from the date of announcement of results of the elections to the municipality. The election to the office of ASR shall be conducted by State Election Commission or any other agency prescribed by State Govt. for the purpose.

In the event of the failure of the State Election Commission or the other prescribed agency to conduct elections to the office of ASR within the prescribed time, each ward councilor can call for nominations for the office of ASR for the every area in his ward in accordance with the rules framed in this behalf. In the event of the failure of ward councilor to call for nominations for the office of ASR, the State Govt. may nominate persons as ASR according to the rules and may also initiate such disciplinary or other action against the ward councilor as it may deem fit. An ASR shall ordinarily hold office for a duration that is co-terminus with the municipality.

Functions and Duties of the Area Sabha

- To generate proposals and determine the priority of schemes and development programmes to be implemented in the jurisdiction of the Area Sabha and forward the same to the Ward Committee, or in its absence, the Municipality as the case may be;
- To identify the most eligible persons from the jurisdiction of the Area Sabha for beneficiaryoriented schemes on the basis of criteria fixed by the government, and prepare list of eligible beneficiaries in order of priority and forward the same for inclusion in the developmental plans of the Ward or Municipality;
- To verify the eligibility of persons getting various

मॉडल नागर राज बिल का मुख्य उद्देश्य नगर पालिका कार्यो यथा प्राथमिकताएं तय करने में, बजट प्राविधानों आदि में एरिया सभा के माध्यम से जन समुदाय की सहभागिता को संस्थागत करने हेतु नगर पालिका नियमों में संशोधन करना है।

> एरिया सभा का गठन तथा अभिशासन

एरिया के संदर्भ में एरिया सभा का तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों के निकाय से है जो नगर पालिका के क्षेत्र में प्रत्येक पोलिंग बूथ से सम्बद्ध चुनाव सूची में पंजीकृत हैं। प्रत्येक क्षेत्र की सीमा राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। प्रत्येक एरिया के लिए एक एरिया सभा प्रतिनिधि होगा। एरिया सभा प्रतिनिधि चाहे वह निर्वाचित हो अथवा नियुक्त हो, वार्ड समिति का सदस्य होगा। नगर पालिका के चुनावों का परिणाम घोषित होने के चार सप्ताह के भीतर क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता एरिया सभा प्रतिनिधि के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के द्वारा एरिया सभा प्रतिनिधि के पद हेतु चुनाव करवाया जाएगा।

निर्धारित समय के भीतर एरिया सभा के प्रतिनिधि के पद हेतु राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अन्य निर्धारित संस्था द्वारा चुनाव नहीं करवाये जाने की दशा में, प्रत्येक वार्ड पार्षद अपने वार्ड के प्रत्येक क्षेत्र से निर्धारित नियमों के अनुसार एरिया सभा प्रतिनिधि के पद हेतु नामांकन मांग सकता है। वार्ड पार्षद द्वारा नामांकन न मॉंगे जाने की दशा में, राज्य सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार एरिया सभा प्रतिनिधियों को नामित कर सकती है तथा वार्ड पार्षद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या अन्य कोई कार्यवाही, जैसे वह उचित समझे, कर सकती है। एरिया सभा प्रतिनिधि का कार्यकाल नगर पालिका के कार्यकाल के समान होगा।

एरिया सभा के कार्य एवं कर्तव्य

- एरिया सभा के क्षेत्र में कियान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव बनाना तथा उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें वार्ड समिति अथवा उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका को प्रेषित करना ;
- राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर लाभार्थियो हेतु चलायी जा रही योजनाओं हेतु सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों का चयन करना, प्राथमिकता के आधार पर हितग्राहियों की सूची बनाना तथा उसे वार्ड अथवा नगर पालिका की विकास योजनाओं में सम्मिलित किए जाने हेतू प्रेषित करना ;

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत

(16)

kinds of welfare assistance from government such as pensions and subsidies;

- To suggest the location of streetlights, street or community water taps, public wells, public sanitation units and such other public amenity schemes within the area of the Area Sabha;
- To identify the deficiencies in the water supply and street lighting arrangements in the Area Sabha jurisdiction and suggest remedial measures;
- To provide and mobilise voluntary labour and contributions in cash and kind for development programmes, and to supervise such development works through volunteer teams;
- To undertake and support tax mapping, and to remind Area Sabha members of their obligations to pay municipal taxes and user charges.

Rights And Powers Of The Area Sabha

- To get information from the officials concerned as to the services they will render and the works they propose to do in the succeeding period of three months after the meeting;
- To be informed by the Ward Committee about every decision concerning the jurisdiction of the Area Sabha, and the rationale of such decisions made by the Ward Committee or the Government,
- To be informed by the Ward Committee of the follow up action taken on the decisions concerning the jurisdiction of the Area Sabha;
- To impart awareness on matters of public interest such as cleanliness, preservation of the environment and prevention of pollution;
- To promote harmony and unity among various groups of people in the area of the Area Sabha and arranging cultural festivals and sports meets to give expression to the talents of the people of the locality; and
- To co-operate with the Ward Committee in the provision of sanitation arrangements in the area.

Constitution and Governance of Ward Committees

There shall be a Ward Committee for each ward in a Municipality, to be constituted within 6 months of the constitution of the Municipality. Each Ward Committee shall consist of – सामाजिक सहायता यथा पैंशन तथा अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की योग्यता का सत्यापन करना ;

- एरिया सभा के क्षेत्र के अंतर्गत पथ प्रकाश, सामुदायिक नल, कुएं, स्वच्छता तथा अन्य सेवाओं हेतु स्थल का सुझाव देना ;
- जलापूर्ति तथा पथ प्रकाश संबंधी व्यवस्थाओं में कमियों को चिन्हित करना तथा उनके निवारण हेतु उपाय सुझाना;
- विकास कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक श्रम तथा धन को नकद एवं वस्तुओ के रूप में प्रदान तथा संगठित करना तथा स्वैच्छिक समूहों के माध्यम से उनका पर्यवेक्षण करना ;
- टैक्स मैपिंग करवाना और उसमें मदद करना तथा एरिया सभा के सदस्यों को नगरीय निकाय करों तथा यूजर चार्जेज के भुगतान के सम्बन्ध में स्मरण दिलाना ।
- 🕨 एरिया सभा के अधिकार एवं शक्तियाँ
- बैठक के पश्चात अगले तीन महीनों में प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं तथा कार्यो से सम्बद्ध सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त करना ;
- वार्ड समिति अथवा सरकार द्वारा एरिया सभा के कार्य क्षेत्र के विषय में लिए गए प्रत्येक निर्णय तथा उसके मूलाधार के बारे में वार्ड समिति द्वारा सूचित किया जायेगा;
- एरिया सभा के कार्यक्षेत्र के विषय में लिए निर्णयों के अनुपालन में कृत कार्यवाही के बारे में वार्ड समिति द्वारा सूचित किया जायेगा;
- जनहित के मामलों जैसे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु जन जागृति उत्पन्न करना ;
- एरिया सभा के क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जन समुदायों के मध्य सामंजस्य तथा एकता को बढ़ावा देना तथा मुहल्ले में रहने वाले जन समुदाय की योग्यता को बढ़ावा देने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलों का आयोजन करना, तथा
- क्षेत्र में स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करने में वार्ड समिति से सहयोग करना ।

🕨 वार्ड समिति की संरचना एवं अभिशासन

नगर पालिका के गठन के 6 मास के भीतर, नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड समिति में निम्न होंगेः

जीतने की इच्छा सभी में होती है मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगो में होती है। – विंस लॉम्बार्डी

- The member of the municipality representing the ward, who shall be the Chairperson of the Ward Committee;
- Not more than ten persons representing the civil society from the ward, nominated by the municipality:

Provided that if the population of the ward is not more than ten thousand, the number of nominated members shall be four, and, thereafter, there shall be one additional member for every four thousand population or part thereof. It is further provided that not less than two-third of the members of such Committee shall be the Area Sabha Representatives resident in that ward.

Civil society in the above context means any nongovernment organization or persons, established, constituted, or registered under any law for the time being in force and working for social welfare, and includes any community-based organization, professional institution and civic, health, education, social or cultural body or any trade or industrial organization and such other association or body as the Municipality may decide.

- The Area Sabha Representative of an Area shall be an ex-officio member of the Ward Committee constituted for the ward within which that Area is situated.
- The Chief Municipal Officer or the Zonal Officer shall be entitled to take part in the meetings and deliberations of the Ward Committee. The Chairman of the Ward Committee may request the representatives of concerned departments as special invitees to participate in the meetings whenever problems respect to with their departments are to be discussed.
- The sanitary inspector, or the Zonal Officer wherever available, or any other official, as nominated by the Chief Municipal Officer, shall be the secretary of the Ward Committee.
- The terms of office of the Ward Committee shall be co-terminus with the term of office of the municipality.

Functions Of The Ward Committee

- Provide assistance in solid waste management in the ward;
- Supervision of sanitation work in the ward;
- provide assistance for the preparation and encouragement of the development scheme for the ward;
- Encourage harmony and unity among various groups of people in the ward;
- mobilize voluntary labour and donation by way of goods or money for social welfare programs;

- वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका का सदस्य जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा,
- नगर पालिका द्वारा सिविल सोसाइटी से नामित अधिकतम दस सदस्य

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वार्ड की जनसंख्या दस हजार से अधिक नहीं है तो नामित सदस्यों की संख्या चार होगी। तत्पश्चात् प्रत्येक चार हजार अंथवा उसके किसी अंश पर एक अतिरिक्त सदस्य होगा। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों के न्यूनतम दो–तिहाई सदस्य उस वार्ड के एरिया सभा प्रतिनिधि होंगे।

सिविल सोसाइटी से तात्पर्य है सामाजिक कल्याण में कार्यरत कोई पंजीकृत गैर–सरकारी संस्था अथवा जन समूह जिसमें कोई सामुदायिक संगठन, व्यवसायिक संस्था, नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक अथवा औद्योगिक संस्था अथवा अन्य कोई निकाय जिसके बारे में नगर पालिका निर्णय ले सकती है।

- एक एरिया का एरिया सभा प्रतिनिधि उस वार्ड की वार्ड समिति का पदेन सदस्य होगा जिसमें वह एरिया स्थित है।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा जोनल अधिकारी वार्ड समिति की बैठकों तथा विचार विमर्श में भाग ले सकेगा। वार्ड समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथियों के रूप में बैठकों में प्रतिभागिता करने के लिए अनुरोध कर सकता है जब उनके विभागों से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा की जानी हो।
- सफाई निरीक्षक अथवा जोनल अधिकारी जहाँ उपलब्ध हों अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी वार्ड समिति का सचिव होगा।
- वार्ड समिति का कार्यकाल नगर पालिका के कार्यकाल के समान होगा।

वार्ड समिति के कार्य

- वार्ड के कूड़ा प्रबन्धन में सहायता प्रदान करना
- वार्ड के स्वच्छता कार्य का निरीक्षण करना
- वार्ड की विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता प्रदान करना
- वार्ड के विभिन्न जल समूहों में परस्पर सामंजस्य तथा एकता को प्रोत्साहित करना
- सामाजिक कल्याण कार्यकर्मों हेतु स्वैच्छिक श्रम तथा वस्तुएं अथवा धन के रूप में दान को संघटित करना

18

- provide assistance in the implementation of development schemes relating to the ward;
- provide assistance for identification of beneficiaries for the implementation of development and welfare schemes;
- encourage art and cultural activities and activities of sports and games;
- ensure people's participation in the voluntary activities necessary for successful implementation of the developmental activities of the municipalities;
- assist in the timely collection of taxes, fees and other sums due to the municipality;
- ensure maintenance of parks and street lighting in the ward;
- Perform such other functions as may be assigned to it by the municipality.

Rights of the Ward Committee

- The chairman and the members of the Ward Committee shall have the right to seek information from the Chief Municipal Officer regarding any matter relating to the ward.
- The committee shall make periodical reports to the municipality in respect of the matters specified.
- Every Ward Committee shall have the right to:
- Obtain full information about the District and Municipal Plans;
- Obtain the full Municipal Budget, within such time as may be reasonable, to verify, seek clarifications and suggest changes that need to be incorporated;
- Obtain the requisite financial and administrative support from the Municipality in managing Bank accounts;
- Be consulted in the development of land use and zoning regulations within its jurisdiction;
- Obtain full details on all revenue items including taxes and budgetary allocations which should be presented in a simplified manner which is manageable by the Ward Committee.
- Retain up to 50% of the Ward Revenues for local development, until a predefined minimum level of Ward Infrastructure index, which shall be notified by the State Government, has been created in the Ward;

- वार्ड में कियान्वित होने वाले विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना
- विकास तथा कल्याण योजनाओं के कियान्वयन हेतु लाभार्थियों के चयन में सहायता प्रदान करना
- कला, सांस्कृतिक तथा खेल सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना
- नगर पालिका की विकास गतिविधियों के सफल कियान्वयन हेतु स्वैच्छिक जन सहभागिता सुनिश्चित करना
- नगर पालिका को देय कर, फीस तथा अन्य देयों के समयबद्ध संग्रहण में सहायता करना
- वार्ड के पार्को तथा स्ट्रीट लाइट के रख–रखाव को सुनिश्चित करना
- नगर पालिका द्वारा दिए गए अन्य कार्यो को करना
- > वार्ड समिति के अधिकार
- वार्ड समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यगण वार्ड से सम्बन्धित
 किसी भी विषय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से सूचना मॉगने हेतु अधिकृत होंगे।
- वार्ड समिति निर्धारित विषयों पर नगर पालिका को समय–समय पर रिपोर्ट प्रेषित करेगी।
- प्रत्येक वार्ड समिति को अधिकार होगा :
- जिला तथा नगर पालिका योजनाओं के संबंध में सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने का,
- नगर पालिका के सम्पूर्ण बजट को प्राप्त करने का, उसमें स्पष्टीकरण मॉगने का तथा अपेक्षित सुझावों को सम्मिलित करवाने का,
- बैंक लेखों के प्रबन्धन हेतु नगर पालिका से अपेक्षित वित्तीय तथा प्रशासनिक मदद प्राप्त करने का,
- अपने कार्यक्षेत्र में भू–उपयोग तथा जोनिंग रैग्युलेशन्स को विकसित करने में परामर्श देने का,
- करों को सम्मिलित करते हुए राजस्व के सभी मदों पर तथा बजट में इंगित किए गए आबंटन पर जो कि सरल ढंग से दर्शाया जाना चाहिए ताकि वार्ड समिति उसका प्रबन्ध कर सके,
- स्थानीय विकास के लिए वार्ड राजस्व का 50 प्रतिशत रखना जब तक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इनडैक्स का पूर्व निर्धारित स्तर उस वार्ड में सृजित न हो जाए,

अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। – बेंजामिन फ्रैकलिन Have a proportionate claim on Municipal Development expenditures, based on the Ward Infrastructure Index of that ward compared to the other Wards in the Municipality.

Duties of the Ward Committee

- Produce the Ward Plans in a manner consistent with the District Plans and complete this exercise within the time specified by the state governments.
- Prepare the Ward budget in accordance with the Ward Plans and complete this exercise within the time specified by the state government;
- Encourage local-level alternatives for implementation in all the areas that the Ward Committee has responsibility for;
- Ensure optimal collection of all revenue sources as specified in the schedule;
- Map the Ward Infrastructure Index for that ward.

Activities Of The Ward Committee

- Preparation of a calendar- At the first meeting of the Ward Committee for each budget year, the Ward Committee shall decide upon specific obligatory agenda for each of the monthly meetings of the Ward Committee, remaining in that calendar year, in addition to the specific obligatory agenda for the first meeting of the following budget year.
- Preparation and compilation of plans The Ward Committee shall prepare the Annual Ward Plan and forward the same to the concerned Municipality for its integration with the Annual Municipal Plan.
- Preparation of Ward budget A ward level budget calendar shall be prepared annually for their ward 6 weeks before the Municipal budget. The Municipality may suggest changes that may be effected into the Ward level Budget after discussion with the Ward Committee. The Municipality budget shall aggregate all the ward budgets which have been prepared and have additional account heads for specific receipts and expenditures at the municipality level.
- Maintenance of Accounts through constitution of the Ward Finance Committee consisting of three persons.
- Supervisory Mechanism

The municipality shall take up the responsibility of providing administrative and infrastructure support to the Ward Committee for its proper functioning.

Ward Development

There shall be a Ward information and Statistics Committee consisting of 3 persons, which shall be

- नगर पालिका के कुल विकास व्ययों में अन्य वार्डो की तुलना में उस वार्ड में वार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इनडैक्स पर आधारित आनुपातिक दावा प्रस्तुत करना।
- वार्ड समिति के कर्तव्य
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जिला योजना के अनुकूल वार्ड योजना तैयार करना
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वार्ड योजना के अनुसार वार्ड बजट तैयार करना
- सभी क्षेत्रों के कियान्वयन में जिनकी जिम्मेदारी वार्ड समिति पर है, स्थानीय स्तर के विकल्पों को प्रोत्साहित करना
- शेडयूल में सूचित राजस्व स्रोतों से अधिकतम संग्रहण सूनिश्चित करना
- वार्ड हेत्र वार्ड इनफरास्ट्रक्चर इनडैक्स का नक्शा बनाना।
- वार्ड समिति की गतिविधियाँ
- कैलेन्डर बनाना प्रत्येक बजट वर्ष में वार्ड समिति की प्रथम बैठक के दौरान, वार्ड समिति उस कैलेन्डर वर्ष के शेष प्रत्येक माह के लिए अनिवार्य विषय सूची पर निर्णय लेने के अतिरिक्त आने वाले बजट वर्ष की प्रथम बैठक हेतु भी विशेष रूप से अनिवार्य विषय सूची तय करेगी।
- योजनाओं का निर्माण तथा उनका संग्रहण— वार्ड समिति वार्षिक वार्ड योजना बनायेगी तथा वार्षिक नगरपालिका योजना में एकीकृत करने हेतु सम्बन्धित नगरपालिका को प्रेषित करेगी।
- वार्ड बजट बनाना

नगरपालिका का बजट बनने से छः सप्ताह पूर्व वार्ड समिति अपने वार्ड हेतु वार्षिक वार्ड स्तरीय बजट बनाएगी। वार्ड समिति से चर्चा करने के पश्चात नगरपालिका वार्ड स्तरीय बजट में परिवर्तन हेतु सुझाव दे सकती है। नगरपालिका बजट तैयार किए गए सभी वार्ड स्तरीय बजटों को संकलित करेगा तथा नगरपालिका स्तर पर विशिष्ट प्राप्तियों तथा व्यय हेतु अतिरिक्त लेखाशीर्ष रखेगा।

 तीन सदस्यों वाली वार्ड वित्त समिति के माध्यम से लेखों का रख–रखाव किया जाएगा।

पर्यवेक्षण प्रकिया

वार्ड समिति की समुचित कार्य प्रणाली हेतु प्रशासनिक एवं अधोसंरचना सहायता प्रदान करने का दायित्व नगरपालिका का होगा।

🔹 वार्ड का विकास

विभिन्न विकास एवं नियोजन संबधी कार्यों के लिए तीन सदस्यों वाली एक वार्ड सूचना तथा सांख्यिकी समिति बनाई जाएगी। समिति का यह दायित्व होगा कि वह

20

formed for various development and planning works. It shall be the duty of the Committee to compile, maintain and update annually the information about the ward in the format prescribed by the concerned Municipality for this purpose. Such information shall include economic information, information relating to land use and infrastructure index.

- * Spatial Planning The Ward Committee shall:
- participate in all development plans of the city
- enforce zoning and land use regulations
- participate in the creation and enforcement of new instruments like transferable development rights, etc.
- Comprehensive intervention for urban poor activities
- integrating all existing activities undertaken by the Government
- preparing and maintaining beneficiary list for all the programmes and schemes undertaken by the government in co-ordination with the relevant government agencies
- preparing a report on the housing and public distribution systems in each ward.
- Ensure universal access for selected public services like education, health care, water supply and sanitation.

* Alternative Options

- a) Ward Committee shall be responsible for decentralized management of the following functions.
- i. primary collection of Solid Waste and decentralized management of solid waste;
- ii. desilting of drains;
- iii. maintenance of street-lights and parks,
- iv. deweeding of paths;
- v. Road works including construction maintenance and restoration of ; and
- vi. General beautification of the locality.
- b) the Ward Committee shall be specially empowered to examine various alternative implementation options in the above mentioned areas.
- c) The proposal with respect to the alternative implementation option by the local communities shall be submitted to the Ward Committee and shall be taken up for discussions at the next meeting of the Ward Committee.

नगरपालिका द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में वार्ड से संबधित सूचनाओं का संकलन करें, उनका रख–रखाव करे तथा प्रत्येक वर्ष उनका उच्चीरकरण करें। इन सूचनाओ में आर्थिक सूचना, भू–उपयोग तथा इनफ्ररास्ट्रकचर इनडैक्स संबधी सूचनाएं शामिल होंगी।

स्थानिक (spatial) नियोजन

- वार्ड समिति नगर के सभी विकास योजनाओं में सहभागिता करेगी।
- भू उपयोग तथा जोनिग रैग्यूलेशन को लागू करेगी।
- नए इन्स्ट्रुमैन्ट जैसे हस्तांतरणीय विकास अधिकार आदि के सृजन तथा उनको लागू करने में सहभागिता करेगी।
- नगरीय गरीबों से सम्बन्धित गतिविधियों में व्यापक हस्तक्षेप
- सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी गतिविधियों का एकीकरण
- सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों के समन्वय से सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं हेतु हितग्राहियों की सूची तैयार करना तथा उसका रख–रखाव करना।
- प्रत्येक वार्ड के आवास तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर रिपोर्ट तैयार करना।
- चुनिंदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा स्वच्छता आदि की सर्वव्यापक पहुँच सुनिश्चित करना।

* अन्य विकल्प

- (अ) निम्न कार्यों के विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन के लिए वार्ड समिति जिम्मेदार होगी :
- अपशिष्ट कूड़े का प्राथमिक संग्रहण तथा अपशिष्ट कूड़े को विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन
- ii. नालियों की Desilting
- iii. पथ प्रकाश तथा पार्कों का रख–रखाव
- iv. मार्गों से deweeding
- v. सड़क कार्य निर्माण, रखरखाव तथा पूर्न निर्माण संबधी
- vi. मुहल्ले का सामान्य सौन्दर्यीकरण
- (ब) उपरिलिखित क्षेत्रों हेतु क्रियान्वयन के विभिन्न विकल्पों का परीक्षण करने के लिए वार्ड समिति विशेष रूप से सशक्त की जाएगी।
- (स) स्थानीय जनसमुदाय द्वारा क्रियान्वयन हेतु दिया गया विकल्प प्रस्ताव वार्ड समिति को प्रेषित किया जाएगा तथा वार्ड समिति की अगली बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी।

महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते है अन्य लोगों के पास केवल इच्छायें होती है।

- वाशिंगटन इरविंग

Functioning Of The Ward Committees

- It shall be the duty of the Ward Committee Chairperson to conduct Ward Committee meetings at least annually for consultation on the following subjects:-
- Preparation of Ward Plan;
- Preparation of Ward Budget;
- Preparation of Ward maps, ward infrastructure index and other alternative functions.

Procedure for conducting Ward Committee meetings

- Reasonable notice of the Ward Committee meetings should be given at least one week in advance and placed on the notice boards of all municipality offices in the ward.
- All residents of the ward shall be entitled to participate in the Ward Committee. The media will be encouraged to actively participate in the proceedings.
- Minutes of the Ward Committee meetings shall be maintained. These minutes shall be made available to the general public for perusal. They shall be kept at the office of the Ward Committee.
- These minutes shall be presented at the next meeting of the Ward Committee and this information shall be made use of by the appropriate subcommittees in their functions.

Grievances:

Grievances for not holding or improperly conducting Ward Committees shall be addressed to the chairperson of the Ward Committee. The Chairperson shall take appropriate action, including penalty to the Ward Committee member after giving adequate notice in writing and reasonable opportunity to be heard to the nominee;

- The State Government may make rules for all or any of the following matters namely:-`
- Procedure for election of the Chairperson of the Area Sabha;
- Convening and conducting the meetings of the Area Sabha and Ward Committee;
- Preparation and compilation of development plans for the ward;
- Preparation of annual budget of the ward; and
- Maintenance of Accounts

22

वार्ड समिति की कार्य प्रणाली

- वार्ड समिति अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह निम्न विषयों पर परामर्श हेतु वर्ष में कम से कम एक बार वार्ड समिति की बैठक बुलाए
- वार्ड योजना बनाने हेतु
- वार्ड बजट बनाने हेत्
- वार्ड का नक्शा, वार्ड इनफरास्ट्रक्चर इनडैक्स बनाने तथा अन्य कार्यों हेत्

वार्ड समिति की बैठक संचालन की प्रक्रिया

- वार्ड समिति की बैठक की सूचना न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए तथा वार्ड में स्थित सभी नगरपालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जानी चाहिए।
- वार्ड के सभी निवासी वार्ड कमेटी की बैठक में भागीदारी के लिए अधिकृत होंगे, कार्यवाही में भागलेने के लिए मीडिया की सक्रिय भागीदारी भी प्रोत्साहित की जाएगी।
- समिति की बैठकों के कार्यवृत रखें जायेंगे। यह कार्यवृत आय जनसमुदाय के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए जायेंगे। यह वार्ड समिति के कार्यालय में रखे जाएंगे।
- यह कार्यवृत वार्ड समिति की अगली बैठक में पेश किए जाऐंगे तथा अन्य समितियों द्वारा इन सूचनाओं का उपयोग उनके कार्यों हेतु किया जाएगा।

शिकायतें

वार्ड समिति की बैठक को उचित ढ़ग से संचालित नहीं करने अथवा बैठक ना आहूत करने संबंधी प्रकरण वार्ड समिति के अध्यक्ष को संबोंधित किए जाएंगें। वार्ड समिति के सदस्य को पर्याप्त लिखित सूचना तथा सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर देने के पश्चात अध्यक्ष प्रकरण में उचित कार्यवाही जिसमें दंड • भी शामिल है, करेंगें।

- राज्य सरकार निम्नलिखित सभी अथवा किसी एक विषय पर नियम बना सकती है–
- एरिया सभा के अध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रकिया
- एरिया सभा तथा वार्ड समिति की बैठक आहूत तथा संचालन करने हेतु
- वार्ड हेत् विकास योजना बनाने तथा संग्रहण संबधी
- वार्ड का वार्षिक बजट बनाने हेतू तथा
- लेखों के रख–रखाव हेतु

MODEL MUNICIPALITY DISCLOSURE BILL

The major objective of the Act is to provide transparency and accountability in the functioning of municipalities. Every municipality under the Act will be required to maintain and disclose the required information in regional, Hindi and English news papers, internet, notice board of the municipality, ward office and any other mode as may be specified by the State Govt.

Municipalities are required to disclose the following information's:

- Particulars of the municipality;
- A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more person constituted as its part or the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public;
- A directory of its officers and employees;
- The particulars of officers who grant concession, permits or authorization for each activity;
- Audited financial statements of Balance Sheet, Receipts and Expenditures and Cash Flow on a quarterly basis, within two months of end of each quarter; and statutorily audited financial statements for the full financial year, within three months of the end of the financial year;
- The service levels being provided for each of the services being undertaken by the municipality;
- Particulars of all plans, proposed expenditures, actual expenditures on major services provided or activities performed and reports on disbursements made;
- Details of subsidy programmes on major services provided or activities performed by the municipality, and manner and criteria of identification of beneficiaries for such proogrammes;
- Particulars of the Master plan, City Development Plan or any other plan concerning the development of the municipal area;
- The particulars of major works as may be defined in the Rules to be made under this Act, together with information on the value of works, time of completion, and details of contract;
- The details of the municipal funds i.e., income generated in the previous year by the following:-

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नगरपालिकाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा उन्हें उत्तरदायी बनाना है। अधिनियम के अर्न्तगत प्रत्येक नगरपालिका को वांछित जानकारी का रख–रखाव करना है तथा प्रान्तीय, अंग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्रों में, इन्टरनैट, नगरपालिका के सूचना पट, वार्ड कार्यालय अथवा राज्य सरकार, द्वारा निर्धारित अन्य किसी माध्यम के द्वारा प्रकाशित कराना है।

नगरपालिकाओं द्वारा निम्न सूचनाओं को प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

- 🔹 नगरपालिका का विवरण
- बोर्ड, कॉउसिंल, समितियों तथा अन्य दो या दो से अधिक सदस्यों वाली गठित समितियाँ, उनके उद्देश्यों के बारे में कथन तथा क्या बोर्ड, काऊंसिल, समिति तथा अन्य निकायों की बैठकों में जन सामान्य का प्रवेश अनुमन्य है अथवा क्या इन बैठकों के कार्यवृत जनसामान्य को प्राप्त हो सकते हैं?
- अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेशिका
- छूट एवं परमिट प्रदान करने वाले अथवा प्रत्येक गतिविधि के लिए प्राधिकृत अधिकारी
- प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के दो माह के भीतर त्रैमासिक आधार पर बैलेन्स शीट, प्राप्तियों तथा व्यय संबधी आडिटेड वित्तीय कथन तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर सम्पूर्ण वर्ष का वैधानिक आडिटेड वित्तीय कथन
- नगरपालिकाओं द्वारा प्रदत्त प्रत्येक सेवा का स्तर
- सभी परियोजनाओं सम्बन्धी ब्योरा, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गई मुख्य सेवाओ , गतिविधियों पर वास्तविक व्यय तथा भुगतान संबधी विवरण
- नगरपालिका द्वारा प्रदत्त प्रमुख सेवाओं अथवा गतिविधियों
 में दी गई सब्सिडी संबधी ब्योरा, तथा इन कार्यक्रमों हेतु
 हितग्राहियों को चयन करने का आधार एवं प्रक्रिया
- नगरपालिका क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित महायोजना,
 नगर विकास योजना अथवा अन्य योजना संबंधी विवरण
- मुख्य कार्यों संबधी विवरण, कार्य की लागत, पूर्ण होने की अवधि तथा अनुबन्ध संबधी ब्योरा
- नगरीय फंड संबधी विवरण अर्थात विगत वर्ष में सृजित आय संबधी ब्यौरा

No law can be an 'unchangeable law'. It must be based on knowledge and as knowledge grows, it must grow with it. - Pt. Nehru

- Taxes, Duties, cess and surcharge, rent from the properties, fees from licenses and permission;
- Taxes, Duties, cess and surcharge, rent from the properties, fees from licenses and permission that remain uncollected and the reasons thereof;
- Share of taxes levied by the state government and transferred to municipality and the grants released to the municipality;
- Grants released by the State Government for implementation of the schemes, projects and plans assigned or entrusted to the municipality, the nature and extent of utilization;
- Money raised through donation or contribution from public or non government agencies;
- Annual budget allocated to each ward

Such other information as may be prescribed by the State Government.

- कर, करेत्तर, सैस तथा सरचार्ज, सम्पत्तियों से किराया, लाइसेंस आदि से फीस,
- कर, करेत्तर, सैस तथा सरचार्ज, सम्पत्तियों से किराया, लाइसेंस आदि से असंग्रहित फीस, तथा उसके कारण, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों में अंश तथा नगरपालिका को हस्तांतरित अंश एवं अवमुक्त की गयी अनुदान धनराशि
- नगरपालिका की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, उसकी प्रकृति तथा उपयोग की सीमा
- सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थाओं से प्राप्त योगदान अथवा दान द्वारा एकत्रित की गयी धनराशि
- ✤ प्रत्येक वार्ड को आबंटित बजट

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई सूचना

FORTHCOMING ACADEMIC ACTIVITIES : OCT. - DEC., 2006

*	Orientation Programme for Special	
	Officers of Jharkhand	Oct. 3-17, 2006
*	Programme for Women Councillors	
	of Bihar	Oct. 5-7, 2006
*	JNNURM, IHSDP and Preparation of DPR	Oct. 2006
*	Follow-up of Ist Entrepreneurship	
	Development Programme	Oct. 2006
*	Workshop on JNNURM for City-Level	
	Senior Personnel	Oct. 2006
*	Management of Solid Wastes	Nov. 8-11, 2006
*	Programme for Women Councillors of Bihar	Nov. 9-11, 2006
*	National Seminar on Care and Protection of	
	Disadvantaged Children	Nov. 17-18, 2006
*	Master Plan and Zoning Regulations	Nov. 20-24, 2006
*	Workshop on JNNURM for Officials of	
	Uttaranchal at Dehradun	Nov. 2006

*	Orientation Training Programme for	
	Newly Appointed Executive Officers	
	of Uttar Pradesh	Nov. 27 - Dec.6,2006
*	Programme for Women Councillors of Bihar	Nov. 30 - Dec. 2, 2006
*	Programme for Women Councillors of Bihar	Dec. 4-6, 2006
*	Programme for Women Councillors of Bihar	Dec. 7-9, 2006
*	Programme for Women Councillors of Bihar	Dec. 11-13, 2006
*	Programme for Women Councillors of Bihar	Dec. 14-16, 2006
*	Municipal Office Management	Dec. 18-20, 2006
*	Workshop on JNNURM for Senior Personnel at	v
•	Division/District Level	Dec. 2006
*	Second Entrepreneurship Development	
	Programme	Dec. 2006
*	Workshop on JNNURM for Officials of	
	Uttaranchal at Nainital	Dec. 2006

.

25

PHOTO GALLERY



Chief Guest Sri P.D. Meena, Principal Secretary, Urban Administration and Development Govt. of M.P., Sri Malay Srivastava, Commissioner cum Secretary Urban Administration and Development Govt. of M.P., Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Sri U.K. Sadhav, Jt. Director, Urban Administration and Development Govt. of M.P. at the Inaugural session

Prof. Nishith Rai, Director, RCUES addressing the distinguished guests at the Bhopal workshop





Chief Guest Sri Abhiraj Singh, Director, Ministry of Environment and Forests, GOI, Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and faculty members with participants


PHOTO GALLERY

Sri Ashwini Kumar Chaube, Hon'ble Minister for Urban Development, Govt. of Bihar and Prof. Nishith Rai, Director, RCUES at the Inaugural session of the workshop for women councilors held at Patna





Chief Guest Sri A.K. Verma, Principal Secretary, Urban Development Govt. of U.P., Sri R.K. Srivastava, Secretary, Urban Development, Govt. of Jharkhand, Guest of Honour, Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Dr. U.B. Singh, Jt. Director. RCUES at Inaugural Session of the Orientation Programme for Special Officers of Jharkhand



Sri Anil Kumar Sagar, Director, Local Bodies, Govt. of U.P., Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Faculty members with participants


PHOTO GALLERY

Delegates at Workshop on Launch of Citizen's Report Card held at Lucknow





Chief Guest Sri A.K. Verma, Principal Secretary, Urban Development Govt. of U.P. and other Hon'ble guests Smt. Aradhana Shulka, Secretary, Tourism, Govt. of U.P., Sri S.P. Singh, Special Secretary, Urban Development Govt. of U.P., Sri Anil Kumar Sagar Director, Local Bodies, Govt. of U.P., Prof. Nishith Rai, Director, RCUES Sri Mathur (M.L.A) and Faculty members with participants



Special Officers of Jharkhand with Prof. R.P. Singh, Vice-Chancellor, Lucknow University, Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Faculty members

OUR IMPORTANT PUBLICATIONS

1.	Deliberative & Executive Wings in Local Government - Das, R.B. & Singh, D.P.	1968
2.	Training in Municipal Administration	1968
3.	Towns of U.P., M.P., & Bihar - Singh, D.P.	1969
4.	Urban Planning & Local Authorities - Das, R.B.	1970
5.	Coalition Government - Verma, M.S	1971
6.	Urban Water Supply in U.P., M.P. and Bihar - Das, R.B.	1972
7.	Utility Services in a Metropolis - Das R.B. & Singh, D.P.	1974
8.	Property Taxes in Lucknow	1975
9.	Municipal Taxation	1976
10.	Ghaziabad	1978
11.	Committee System in English Local Government - Sreeram, K.	1979
12.	Urban Conservation & Environment - Seth, J.L. (ed)	1988
13.	Situation Analysis of Urban Child in Uttar Pradesh - Seth, J. L. & Varmani, Richa	1988
14.	Urban Land Ceiling Act, U.P. - Bagga, Urmila	1989
15.	Privatisation of Municipal Services - Singh, U.B. (ed.)	2001
16.	Assessing Training Needs in Urban Administration - Singh, U.B.	2003
17.	Urban Administration in India (Experiences of Fifty Years) - Singh, U.B. (ed.)	2004
18.	Capacity Development for Urban Governance - Dwivedi, S.K. & Narayan, Rajeev	2004
19.	Empowerment of Women in Urban Administration (Experiences & Strategies) - Singh, U.B. (ed.)	2006
20.	Urban Management - Rai, Nishith & Bagga, Urmila (ed)	2006
21.	Comparison of Cantonment Board and Nagar Nigam : A Case Study of Lucknow - Varmani, Richa & Mishra, Anjuli	2006